TATA STEEL FOUNDATION

TATA

वेब पत्रिका का त्रीमासिक मुद्रित संस्करण

kurukhtimes.com

कुँडुख़ टाईम्स

(अंक 12, जुलाई - सितम्बर)

Prepared by:
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya
Parha Akhra (Addi Akhra), Ranchi

Published by:
Tribal Cultural Society, Jamshedpur
An Ethnicity wing of TATA STEEL FOUNDATION

Tata Steel Foundation (Foundation), a wholly owned subsidiary of Tata Steel Limited, was incorporated on August 16, 2016. With over 600 members spread across eleven units and two states of Jharkhand and Odisha, the Foundation is a CSR implementing organisation focused upon co-creating solutions, with tribal and excluded communities, to address their development challenges reaching more than 1.5 million lives annually across 4,500 villages. The Foundation endeavors to implement change models that are replicable at a national scale, enabling significant and lasting betterment of communities proximate to Tata Steel's operating locations while embedding a societal perspective in key business decisions. The Foundation strives for excellence by ensuring that all programmes are aligned with community needs and focused upon national priority areas enabling communities to access and control resources to improve the quality of their lives with dignity.

[illegible]
कुँड़ुख़ टाईम्स

https://kurukhtimes.com
वेब वर्जन पत्रिका का त्रैमासिक
मुद्रित संस्करण (बेलपंच्चा विशेषांक)
(अंक 12 जुलाई से सितम्बर 2024)

Consulting Editor :
Mr. Kishlaya, Ranchi
Mob. # 9431113111
Executive Editor :
Dr. Bindu Pahan, Jamshedpur
Mob# 9798956544
Co-ordinator :
Dr. Narayan Oraon, Sainda, Sisai, Gumla, Mob. # 9771163804
Assistent Co-ordinator :
Shri Bhuneshwar Oraon, Tilsiri, Ghaghra Gumla, Mob # 9798956544
Editorial Board :
1. Shri Saran Oraon, Hehal, Ranchi Mob. # 9
2. Dr. Ranthu Oraon, Ranchi Mob # 9
3. Shri Bipta Oraon, Jogo Pahar, Ranchi, Mob# 9798956544
4. Mr. Mahadeo Toppo, Ranchi Mob. # 7250212369
5. Dr. (Smt.) Shanti Xalxo, Ranchi Mob. # 9905215471
6. Dr. Satyotam Bhagat, Jamshedpur Mob. # 9608706239
7. Dr. Narayan Bhagat, Ranchi Mob. # 8521458677

Publication Office :
Tolong Chambbi, Boreya Road, Chirondi, Nagra Dippa, PS: Bariatu, Dist. : Ranchi (Jharkhand), Pin: 834006
Publiced by :-
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya Parha Akhra (Addi Akhra), Ranchi
Prepared by :-
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya Parha Akhra (addi Akhra), Ranchi
In association with
TRIBAL CULTURAL SOCIETY JAMSHEDPUR
An Ethnicity Wing of
TATA STEEL FOUNDATION

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, (PESA 1996) की धारा 4 (d) के तहत, दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 को 22 गाँव के सदस्यों द्वारा ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल'' का दो दिवसीय सम्मेलन स्थान – पड़हा पिण्डा, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड)में सम्पन्न हुई और सम्मेलन की परिलब्धी को अनुसंधान

तरपाँती – पईत्त पाब – पक्खे

1. तोलोंग सिकि (लिपि) का आधार (प्रकृति और कलाकृति) – 02
2. कुँड़ुख़ तोलोंग सिकि तोड़पाब (वर्णमाला) – 03
3. धरमे ओहमा – 04
4. माननीय हाईकोर्ट का आदेश और उराँव (कुँड़ुख़) समाज की सामाजिक न्यायायिक व्यवस्था – 05
5. PESA ACT 199 THE PRPOVISION OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996 – 08
6. झारखण्ड सरकार पंचायती राज, एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल विभाग) (पंचायती राज निदेशालय) – 09
7. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2023, गुमला मण्डल – 10
8. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2024, गुमला मण्डल – 11
9. माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड–छतीसगढ़ का आदेश एवं परम्परागत उरांव समाज की न्यायिक चुनौतियाँ – 26
10. धुमकुड़िया ता जोंख़ एड़पा, पेल्लो एड़पा अरा ख़द्दपड़ा – 31

[illegible] (पेंच्छका = संपादकीय)

[illegible] special law for Hindu, Muslim and Christian. [illegible]

Dated - 30.09.2024 — *- Bindu Pahan, E. Editor*

तोलोङ सिकि (लिपि) का आधार
तोलोङ पोशाक
हल–चलाना
चाला अयंग अड्डा
जता चलाना
रोटी पकाना
नृत्य
अभिवादन
जीव–जन्तुओं द्वारा बनाये गये चिन्ह
मृत्यु संस्कार
देबी अयंग अड्डा
पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा
गणितीय चिन्ह
डण्डा कट्टना अनुष्ठान
लत्तर का डाली पर चढ़ना
सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान चिन्ह
सिन्धु लिपि (Indus Script)
डण्डा कट्टा किसपो शिस्टम
तोलोङ सिकि (लिपि) : आदिवासी भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, विज्ञान एंव आध्यात्म का अद्भूत प्रस्तुतिकरण

2. [Tolong Siki text] (कुँड़ुख़ तोलोङ सिकि तोःड़पाब)
Tolong Siki Alphabet / तोलोङ सिकि वर्णमाला

[Tolong Siki text] (सरह तोड़) = स्वर वर्ण (Vowels)

[Tolong Siki] इ i   [Tolong Siki] ए e   [Tolong Siki] उ u   [Tolong Siki] ओ o   [Tolong Siki] अ a   [Tolong Siki] आ ā

: (सेला) = लम्बी ध्वनि, • (मितला) = नासिक्य व्यंजन सूचक, ' (घेतला) = शब्दखण्ड सूचक,
~ (एवाँ) = नासिक्य स्वर सूचक, ‿ (रेवाँ) = लुप्ताकार र, I (हेचका) = विकारी अ

[Tolong Siki text] (हरह तोड़) = व्यंजन वर्ण (Consonants)

[Tolong Siki] प् p	[Tolong Siki] फ् ph	[Tolong Siki] ब् b	[Tolong Siki] भ् bh	[Tolong Siki] म् m
[Tolong Siki] त् t	[Tolong Siki] थ् th	[Tolong Siki] द् d	[Tolong Siki] ध् dh	[Tolong Siki] न् n
[Tolong Siki] ट् ṭ	[Tolong Siki] ठ् ṭh	[Tolong Siki] ड् ḍ	[Tolong Siki] ढ् ḍh	[Tolong Siki] ण् ṇ
[Tolong Siki] च् ch	[Tolong Siki] छ् chh	[Tolong Siki] ज् j	[Tolong Siki] झ् jh	[Tolong Siki] ञ् n̈
[Tolong Siki] क् k	[Tolong Siki] ख् kh	[Tolong Siki] ग् g	[Tolong Siki] घ् gh	[Tolong Siki] ङ् ṅ
[Tolong Siki] य् y	[Tolong Siki] र् r	[Tolong Siki] ल् l	[Tolong Siki] व् w	[Tolong Siki] ज़् ż
[Tolong Siki] स् s	[Tolong Siki] ह् h	[Tolong Siki] ख़् x	[Tolong Siki] ड़् ṛ	[Tolong Siki] ढ़् ṛh

[Tolong Siki text] (लेक्खा) = संख्या, Numerals

[Tolong Siki numerals]										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[Tolong Siki text]

(ख़द्दर ही कत्थ लूर अरा कत्थ बेयाँख़ो) = बच्चों का भाषा ज्ञान और भाषा विज्ञान

[Tolong Siki] (पा), [Tolong Siki] (बा), [Tolong Siki] (मा), [Tolong Siki] (ता), [Tolong Siki] (दा), [Tolong Siki] (ना), [Tolong Siki] (का), [Tolong Siki] (गा), [Tolong Siki] (जा),

[Tolong Siki] (पपा) = रोटी, [Tolong Siki] (बबा) = पिताजी, [Tolong Siki] (ममा) = Cooked rice, भात।

[Tolong Siki] (पल्ले) = दाँत, [Tolong Siki] (बई) = मूँह, [Tolong Siki] (मेलख़ा) = Epiglottis, उप कण्ठ।

[Tolong Siki] (ततख़ा) = जीभ, [Tolong Siki] (दुदु) = दूध, [Tolong Siki] (नरटी) = Oesophagus, ग्रासिका।

[Tolong Siki text]

[Tolong Siki text]

ताःका एमसाःर'ई, पल्ले, बई, मेलख़ा, होलेम चींःख़नर ख़द्दर।
ततख़ा, दुदहिन, नरटी तरा नतगी, होलेम उज्जनर ख़द्दर।।

(कुड़ुख़ भाषा, संस्कृति, सामाजिक एवं प्राकृतिक अवदान तथा भाषा, विज्ञान आधारित लिपि)

[illegible] / जय धरमे

[illegible] [illegible]

[illegible]

अना उङ्गु, सँवसेन उङ्गु,
सिरज'उ–पो:स'उ, मयाननु धरमे उरबय,
धरती–अयंग, धरमी–सवंग, मय्हदेव–परबईत, करम–
देंव, चन्नदो–बी:ड़ी, मेरखा–बदाली, चिच्च–चेंप, ता:का–फरी,
चा:ला–अयंग, देबी–अयंग, पचबल–पुरखर। अख़आ बल्ला,
सुमराऱआ लगदम, गोहराऱआ लगदम, ओहारी ननके, मलदव ती
बछाबअ़के, दव लूर–घोख चिअ़के दरा जिया–कया एंम्हयन सवंगिया
कमअर, उ:ख़ा ती बिल्ली तरा होअ़नुम, धरम डहरेन धरताअ़के।
ओ'लग्गादम – ओ'लग्गी, ओ'लग्गी, ओ'लग्गी।

भावार्थ – हे सामर्थ्यवान, सम्पूर्ण जगत के शक्तिवान, सृजनकर्ता–पालनकर्ता, दया करने वाले हमारे मालिक ईश्वर, धरती माता, ईश्वरीय शक्तियाँ, मय्हदेव–परबईत, करम देव, चांद–सूरज, अग्नि–वर्षा, आकाश–बादल, स्वच्छ–हवा, चा:ला माता, देबी माता, पचबल पूर्वजगण। जाने अनजाने स्मरण कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हमें छत्रछाया प्रदान करें, बुराई से बचाएं, अच्छाई का ज्ञान–समझ दें और हमारे आत्मा एवं शरीर को शक्ति प्रदान कर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हुए धर्म के रास्ते पर ले चलें। आप सबों को हमारा प्रणाम है – प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।

4. माननीय हाईकोर्ट का आदेश और उराँव (कुँड़ुख़) समाज की सामाजिक न्यायायिक व्यवस्था

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के द्वी–सदस्यीय पीठ द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में दिनांक 08.04.2021 के फैसले के कंडिका 29 में कहा गया है कि - “We, accordingly, set aside the judgement dated 16.03.2018, passed in Original Suit No. 583 of 2017 by the Principal Judge, Family Court, Ranchi, and remand the matter to Family Court to frame an appropriate issue in regard to existence of provision of customary divorce in the community of the parties to these proceeding to get marriage dissolved. We permit the parties to amend the pleading, if so and also to lead evidence to prove the existence of a provision of customary divorce in their community. The Family Court will consider the matter afresh without being influenced by the observations made by this court hereinabove expeditiously. इसी तरह बिलासपुर, छतीसगढ़, के नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2023 को खबर छपी – हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक का क्या नियम है ? तथा माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशिनर को नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी ।)’’

‘माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची एवं छतीसगढ़ के आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए **परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल** द्वारा दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से विमर्श कर, सर्वसहमति से त्रिस्तरीय परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा न्याय पंच नियमावली 2024 के प्रस्ताव का समीक्षोपरांत स्वीकृत एवं अनुमोदित किया गया, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है –

फैमिली कोर्ट को कस्टमरी लॉ के तहत तलाक देने की है शक्ति : हाइकोर्ट

वरीय संवाददाता, रांची

- उरांव जनजाति के प्रार्थी की तलाक की याचिका का मामला, फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
- हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को किया खारिज, सुनवाई के लिए मामले को वापस भेज दिया
- कहा : फैमिली कोर्ट एक्ट एक सेक्युलर लॉ है, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला कर सकता है

झारखंड हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने उरांव जनजाति के प्रार्थी के तलाक से संबंधित मामले को रांची के फैमिली कोर्ट को सुनवाई के लिए वापस भेज दिया. साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एक सेक्युलर कानून है.

खंडपीठ ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट-1984 सभी धर्मों के लिए लागू एक धर्मनिरपेक्ष कानून है. फैमिली कोर्ट में कस्टम को प्रूफ करने की जरूरत होगी. कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर निर्णय लेने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास है. मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन व कुमार वैभव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि उरांव जनजाति के युवक का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था. विवाहेतर संबंध के कारण वह पत्नी से तलाक चाहता था.

यह है मामला : उरांव जनजाति के युवक ने रांची फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी. फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मेंटेनेबल नहीं है. यह कोर्ट कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला नहीं सुना सकता है. कस्टमरी लॉ लिपिबद्ध नहीं है. यह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

उरांव जनजाति समाज में छुटा-छुटी का है प्रावधान : एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि उरांव जनजाति समाज में बैठक कर निर्णय लेकर पति-पत्नी के अलग होने (छुटा-छुटी) का प्रावधान है. तलाक के लिए इच्छुक युवक ने समाज में बैठक के लिए मामले को आगे किया, लेकिन लड़की (पत्नी) के शामिल नहीं होने के कारण समाज की बैठक नहीं हो पायी. इसके बाद युवक ने अपने कस्टमरी लॉ का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट में धारा-सात के तहत तलाक के लिए मामला दायर कर दिया.

नवभारत
Bilaspur City - 26 Dec 2023 - 26 Nya 1a
epaper.navabharat.news

हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक के क्या नियम हैं

याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की छूट

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि,केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आदिवासी समाज में तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की भी छूट दी है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डीबी में इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कोरबा जिले का है, जहां आदिवासी समाज से आने वाले पति-पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी थी और तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। पत्नी ने इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा याचिकाकर्ता के एडवोकेट से पूछा कि क्या आदिवासी समाज में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उन्होंने एडवोकेट को एक्ट की धारा पढ़ने के लिए कहा और साफ किया कि, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस प्रकरण में तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पति की ओर से तलाक की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की बात कही गई।

डीबी ने स्पष्ट किया कि, अपील पर आपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश याचिका दायर करने की भी छूट दी है।

[illegible]

इस त्रिस्तरीय परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा न्याय पंच पद्धति में पहला स्तर – पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा न्याय पंच), दूसरा स्तर – पड़हा पंच्चा (पड़हा न्याय पंच) एवं तीसरा स्तर – बे:ल पंच्चा (बे:ल समूह न्याय पंच) है। उराँव (कुँडुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक किया जाता हैं। **परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल** द्वारा यह आदेशित किया गया परम्परागत उरांव समाज के किसी परिवार अथवा सदस्य के सामने कोई विवाद का सामाजिक न्याय की मांग आये तो सबसे पहले **पद्दा पंच्चा (ग्राम सभा)** के सामने, लिखित शिकायत करें। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज हो और शिकायत का निपटारा करें। इसकी यदि समीक्षा करनी हो तो, अपील I – **पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा)** द्वारा एवं अपील II – **बेल पंच्चा (बेल समूह की सभा)** में कम से कम 03 या 05 या 07 या 09 पड़हा बेल शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा की औपचारिक अध्यक्षता, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तावित मदईत पड़हा बेल में से एक के द्वारा होगा। बैठक में अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रकिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा/पड़हा/बेल पंच्चा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर या ठेपा निशान लगाएँ।

1. पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा न्याय पंच) :– पारम्परिक पद्दा पंच्चा (ग्राम सभा) के संचालन के लिए न्याय पंच निम्न होते हैं –.(1) पहान (भुँईहरी पहनई)। (2) माहतो (भुँईहरी महतोई)। (3) पुजार (भुँईहरी पुजरई) (4) करटहा (5) भँड़ारी परिवार से एक (6) जोंख़ कोटवार (7) पेल्लो (किशोरी) कोटवार (8) मुखी जोंख़ (पुरूष प्रतिनिधि) (9) मुखी पेल्लो (महिला प्रतिनिधि) (10) जेठ रैयत परिवार से एक मनोनित सदस्य। (11) गौंरो परिवार से एक मनोनित सदस्य (12) चार आमंत्रित सदस्य जिसमे 02 महिला होंगी। आमंत्रित सदस्यों की भगीदारी हेतु पारम्परिक ग्रामसभा सदस्यों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। सर्वप्रथम किसी गांव में यदि कोई विवाद सामने आये तो वह मामला परम्परागत रूप से चयनित ग्रामसभा अध्यक्ष के सामने विवादित विषय को न्याय शिकायत कर्ता द्वारा लिखित शिकायत करना होगा। आवेदन के साथ परम्परा से चला आ रहा चटाई बिछाने का पचईती खर्च, रू0 151/(एक सौ एकावन) जमा करें। इस लिखित आवेदन के आधार पर परम्परागत विधि से चयनित पहान या माहतो ग्राम सभा की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगा। ग्रामसभा की अध्यक्ष की मदद के लिए परम्परागत गांव के सदस्य के अतिरिक्त वर्तमान समय के अनुरूप मनोनित सदस्य में से प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा ग्रामसभा की अध्यक्ष के तरफ से शिक्षित एवं आदिवासी न्याय–कानून आदि के बारे में जानकारी रखते हों सकते हैं। परम्परागत ग्रामसभा अध्यक्ष दोनों पक्षों को लिखित नोटिस तामिला करावें। साथ ही सभी गांव के सदस्यों को बैठक की सूचना भेजें। इस तरह निर्धारित तिथि को बैठक कराकर ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज करें। अंत में उपस्थित सदस्य अपनी उपस्थिति का हस्ताक्षर या ठेपा निशानी देकर करें। ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति, दोनों पक्षों को दें।

2. पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा) – परम्परागत पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा) बैठक में ग्रामसभा के निर्णय की समीक्षा अथवा पुनर्विचार करेगी। यह बैठक परम्परागत पड़हा गांव के पड़हा बेल के बुलावे पर पड़हा गांव के सदस्य पड़हा बैठक में शामिल होंगे। इसके लिए यदि ग्राम सभा के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष अपना लिखित आवेदन के साथ ग्रामसभा के निर्णय की प्रति, पड़हा बेल को सौंपे। आवेदन के साथ परम्परा से चला आ रहा चटाई बिछाने का पचईती खर्च रू0 251/(दो सौ एकावन) जमा करें। इस लिखित आवेदन के आधार पर पड़हा बेल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगा। पड़हा बेल की मदद के लिए परम्परागत पड़हा गांव के सदस्य के अतिरिक्त 04 मनोनित सदस्य में से 02 महिला सदस्य हों, जो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा पड़हा बेल के तरफ से होगें, जो शिक्षित एवं आदिवासी न्याय–कानून आदि के बारे में जानकारी रखते हों या डालसा के न्याय मित्र हों। पड़हा बेल दोनों पक्षों को लिखित नोटिस तामिला करावें। साथ ही सभी पड़हा गांव के सदस्यों को बैठक की सूचना भेजें। इस तरह निर्धारित तिथि को बैठक कराकर पड़हा रजिस्टर में दर्ज करें। बैठक में ग्रामसभा के निर्णय की समीक्षा करें तथा व्यवहारिक न्याय में यदि कमी हुई हो तो उसको सामने लायें और पड़हा का निर्णय रजिस्टर में दर्ज करें। अंत में उपस्थित सदस्य अपनी उपस्थिति अपना हस्ताक्षर करें या ठेपा निशानी लगाएं। पड़हा रजिस्टर में दर्ज अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति, दोनों पक्षों को दें।

3. बेःल पंच्चा (बेल समूह की सभा) – बेःलर पचा ओक्कर दरा बेःल पंच्चा ननरर। परम्परागत बेःल पंच्चा की बैठक में कम से कम 03 पड़हा या 05 पड़हा या 07 पड़हा या 09 पड़हा इकाई के बेल अपने पंचगण के साथ पड़हा पंच्चा के निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार करेंगे। इसके लिए किसी मामले का निर्णय से असहमत पक्ष द्वारा लिखित आवेदन के साथ 03 पड़हा या 05 पड़हा या 07 पड़हा या 09 पड़हा के पड़हा बेल में से किसी एक पड़हा बेल को सौंपेंगे। बेःल पंच्चा की अध्यक्षता के लिए अपीलकर्ता पक्ष द्वारा लिखित आवेदन देकर बेःल पंच्चा के लिए मदईत पड़हा बेल में से चयनित जाएगा। आवेदन के साथ परम्परा से चला आ रहा चटाई बिछाने का पचईती खर्च रू0 351/ (तीन सौ एकावन) जमा करें। अपीलकर्ता के लिखित आवेदन के आधार पर बेःल पंच्चा की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगा। बेःल पंच्चा की मदद के लिए परम्परागत मदईत पड़हा बेल एवं सहयोगी सदस्य के अतिरिक्त 04 मनोनित सदस्य होंगे जिनमें 02 महीला होंगी, जो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा बेल पंच्चा के तरफ से नामित किये जा सकेंगे, जो शिक्षित एवं आदिवासी न्याय–कानून आदि के बारे में जानकारी रखते हों या डालसा के न्याय मित्र हों। बेल पंच्चा के बेल दोनों पक्षों को लिखित नोटिस तामिला करावें। साथ ही सभी पड़हा बेल को बैठक की सूचना भेजें और एक निर्धारित तिथि को बैठक कराकर, बेल पंच्चा रजिस्टर में दर्ज करें। बैठक में ग्रामसभा एवं पड़हा पंच्चा के निर्णय की समीक्षा करें तथा व्यवहारिक न्याय में यदि कमी हुई हो तो उसको सामने लावें और बेःल पंच्चा का निर्णय को रजिस्टर में दर्ज करें। अंत में उपस्थित सदस्य अपना हस्ताक्षर या ठेपा निशानी रजिस्टर में दर्ज करें। बेलपंच्चा की अध्यक्षता, अपीलकर्ता पक्ष (असहमत पक्ष) द्वारा चयनित पड़हा बेल की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। (बेल पंच्चा में शिकायत कर्ता के पड़हा बेल के निर्णय को चुनौती देना है, इसलिए संबंधित पड़हा बेल को बेल पंच्चा की अध्यक्ष्ता नहीं कर सकते। बेःल पंच्चा के लिए मदईत पड़हा के पड़हा बेल के सहयोगी प्रतिनिधि ही बैठक में शामिल होंगे। उपस्थित पड़हा बेल में से अधिकतम पड़हा बेल के निर्णय को बेलपचा का निर्णय समझा जाए। यह ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा'' के निर्णय की चुनौती, जिला स्तरीय त्वरित न्यायालय में हो या इसके समकक्ष प्राधिकार में हो।

अपील का समय :– परम्परागत पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा) के निर्णय की चुनौति के लिए पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा) में ले जाने के लिए अधिकतम समय सीमा 90 दिन का होगा। इसी तरह परम्परागत पड़हा पंच्चा की बैठक के निर्णय की चुनौति के लिए बेलपंचा में ले जाने के लिए अधिकतम समय सीमा 90 दिन का होगा। बेलपंच्चा के आदेश को चुनौती के लिए परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के सदस्य, जिला न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बिसुसेन्दरा में अपील के लिए बेलपंच्चा के आदेश की तिथि से 09 महीना तक होगा।

अपील – यहाँ पचा का अर्थ समूह है और पंच्चा का अर्थ समूह में न्याय करना है। पंच्चा का अर्थ हिन्दी में प्रयुक्त शब्द पंचनामा की तरह कहा जा सकता है परन्तु हिन्दी में पंचनामा का अर्थ पंच लोगों द्वारा साक्ष्य संग्रह करना होता है। जबकि पंच्चा शब्द का अर्थ – समूह द्वारा साक्ष्य संग्रह कर एवं न्याय–दण्ड देना है। बेल पंच्चा के JURY member अर्थात मदईत पड़हा बेल, बिसुसेन्दरा द्वारा अनुमोदित एवं अधिकृत सदस्य होंगे। बिसुसेन्दरा को प्रथागत उरांव आदिवासी समाज में, सामाजिक न्याय का अंतिम सीढ़ी माना गया है, इसलिए वहाँ के फैसले को किसी दूसरे स्थान पर सामाजिक चुनौती देना मान्य नहीं है। जिस तरह कि न्यायालय व्यवस्था में Mediation commitee के निर्णय को चुनौती देने का प्रावधान नहीं है। परम्परागत उरांव समाज अपने सामाजिक व्यवस्था में श्रद्धा रखते हुए बिसुसेन्दरा के निर्णय को स्वीकार करता है। बिसुसेन्दरा का राज्य स्तरीय सभा 3 वर्ष में हो और राःजी बिसुसेन्दरा 12 वर्ष में प्रथागत रूप से आयोजित हो। इस तरह यह पारम्परिक ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्चा, उरांव आदिवासी पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत सरल एवं त्वरित न्याय प्रणाली है, जो सभी तरह के गरीब–अमीर, छोटे–बड़े, महिला–पुरूष, ग्रामीण–शहरी आदि व्यक्तियों के लिए सहज प्रक्रिया साबित होगी। परम्परागत उराँव समाज के लोग इस प्रस्तावित विषय पर एवं इन विन्दुओं पर चर्चा करें, सहमति बनाएँ और समाज को रास्ता दिखाएँ।

विनीत :	सलाहकार :	विनीत :
डॉ नारायण उराँव ''सैन्दा''	प्रो० रामचन्द्र उराँव	श्री राणा प्रताप उराँव
संयोजक, अद्दी अखड़ा,	पड़हा समन्वय समिति,	अध्यक्ष, पड़हा समन्वय समिति,
झारखण्ड, रांची।	झारखण्ड, रांची।	झारखण्ड, रांची।

5. PESA ACT 1996

THE PRPOVISION OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996, No. 40 OF 1996

(24th Decwmber, 1996)

4. (d) every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution.

(n) the State Legislation that may endow Panchayats with powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government shall contain safeguards to ensure that Panchayats at the higher level do not assume the powers and authority of any Panchayats at the lower level or the Gram Sabha.

(o) the State Legislature shall endeavour to follow the pattern of the Sixth Schedule to the constitution while designing the administrative arrangements in the Panchayats at district levels in the Scheduled Area.

....

....

....

....

K. L. MOHANPURIYA
Secretary, to Govt. of India

6. झारखण्ड सरकार
पंचायती राज, एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल विभाग)
(पंचायती राज निदेशालय)

अधिसूचना

जी० एस० आर० – 269 ̇/ रांची, दिनांक – 21/2/05

झारखण्ड ग्राम सभा नियमावली, 2003

कंडिका 4. एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया –

(i) निम्नलिखित क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा –

(ख) छोटे गांव या गावों/टोलों का समूह जिसमें समाविष्ट समुदाय परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।

कंडिका 5. ग्राम सभा की बैठक –

(ग) ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाएगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप–मुखिया बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उपमुखिया या उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य नहीं हों और उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पहान, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।

....

....

ह०/अ०
सरकार के सचिव
पंचायती राज, एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल) विभाग
झारखण्ड, राँची।

7. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023, गुमला–मण्डल

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के तहत दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 दिन शनिवार एवं रविवार को 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गाव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी–परम्परा के अनुसार ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो'' का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज द्वारा आयोजित यह परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसु सेन्दरा का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का संयोजन परम्परागत गांव सभा के पंच्चों में से पड़हा बिसुसेन्दरा बेल – श्री दशरथ भगत, कुहाबेल – श्री जुब्बी उरांव, देवान – श्री मटकु उरांव, कोटवार – श्री गजेन्द्र उरांव, भंड़ारी – श्री उमेश उरांव के द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं पारम्परिक ग्रामीण पुजारी पहान, महतो, पुजार इत्यादि उपस्थित थे। बिसुसेन्दरा के पहले दिन अर्थात दिनांक 20 मई 2024 की बैठक में पड़हा गांव के सिर्फ पुरूष लोग गांव–समाज में रूढ़ी व्यवस्था के अन्तर्गत देश के संविधान एवं कानून व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य किये जाने के संबंध में कई पारम्परिक नियमावली को लिखकर संकलन करने पर चर्चा किये। उसके बाद अंतिम दिन अर्थात दिनांक 21 मई 2024 की बैठक में पड़हा गांव की बैठक में महिलाएँ के साथ शामिल हुईं। महिलाओं द्वारा पूर्व की भांति, लोटा में पानी और आम का डहुरा लेकर पुरूषों का स्वागत की। महिलाओं को यह उम्मीद रहती है कि पुरूष गण अपने परिवार तथा समाज के लिए अच्छा निर्णय करके आये होंगे और गांव समाज को आगे ले जाएंगे। पिछले वर्ष 2023 में बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार महिलाएँ, 9 फुदना वाला 9 पड़हा के लिए, 7 फुदना वाला 7 पड़हा के के लिए तथा 6 फुदना वाला 6 पड़हा गांव के महतो–पहान के लिए अईरपन–सिन्दुर लगाकर ''पड़हा खेवा डांग'' सौंपा गया और वे पुरूषों से आह्वान कीं – कि वे स्वयं समाज–परिवार के लिए जागें और बच्चों में शिक्षा का अलख जगाएँ, नशापान रोकें, अनुशासन एवं देशप्रेम जगाएँ। इसवर्ष महिलाओं द्वारा फिर से आह्वान किया गया कि गांव के पहान–महतो बिसुसेन्दरा के अवसर पर सामाजिक जिम्मेदारी का संकेतक ''पड़हा खेवा डांग'' को बिसुसेन्दरा में गांव का पड़हा झण्डा के साथ चढ़ावें। इसतरह पुरूष–महिला मिलकर माननीय हाईकोट के संज्ञान पर आह्वान किये – आदिवासी जागरूक हों।

परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2023 की ओर से निम्नांकित निर्णय लिया गया –

1. माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है कि आदिवासी मामले का निपटारा – आदिवासी कस्टमरी कानून के आधार पर हो। इसलिए बिसुसेन्दरा आदेश देती है कि उरांव समाज का कोई भी मामला तीन स्तरीय सामाजिक न्याय पंच व्यवस्था में आना होगा। इनमें से – (क) पद्दा पंच्चा अर्थात ग्राम सभा न्याय पंच (ख) पड़हा पंच्चा अर्थात पड़हा न्याय पंच (ग) बे:ल पंच्चा अर्थात बेल स्तर पर न्याय पंच।

2. पद्दा पंच्चा अथवा ग्रामसभा न्याय पंच की अध्यक्षता रूढ़ीगत रूप से गांव के पहान द्वारा किया जाए तथा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाए। गांव के कोई मामला ग्राम सभा अध्यक्ष के नाम से लिखित शिकायत आवे और ग्राम सभा अध्यक्ष उस शिकायत के आधार पर दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलावे और गांव के पंच मिलकर न्याय करें। कार्यवाही को ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज करें और पंच गण हस्ताक्षर करें। इसी तरह पड़हा न्याय पंच का बैठक की अध्यक्षता परम्परागत बेल पद्दा के पड़हा बेल द्वारा किया जाए। पड़हा बेल के मदद के लिए सभी गांव वाले रहें। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथा पड़हा बेल एवं पंच गण हस्ताक्षर या अंगुठा लगाएं। तीसरी व्यवस्था अर्थात बेल पंच्चा न्याय पंच व्यवस्था की अध्यक्षता अपने क्षेत्र के 3 या 5 या 7 या 9 अलग–अलग पड़हा के पड़हा बेल लोगों का समूह द्वारा किया जाए, जिसकी अध्यक्षता उन 3 या 5 या 7 या 9 में से किसी एक मदईत पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा, जिसका चयन शिकायत कर्ता द्वारा किया जाए। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथथ सभी पड़हा बेल एवं पंच हस्ताक्षर या अंगुठा लगाएं।

3. प्रत्येक 03 वर्ष में ग्रामसभा न्याय पंच समिति का गठन करें और इसकी सूचना अपने उपायुक्त महोदय को दें। वर्ष 2023 का ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल'' द्वारा अनुमोदित निर्णय को महामहीम राज्यपाल, झारखण्ड, आयुक्त रांची प्रमण्डल एवं उपायुक्त गुमला अथवा गुमला मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ हेतु भेजें।

पड़हा बेल / पड़हा कुहा बेल / पड़हा देवान / पड़हा भंडारी / पड़हा कोटवार
परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो (झारखण्ड)

8. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2024, गुमला–मण्डल

कार्यालय – पड़हा पिण्डा, ग्राम : सैन्दा, पो० : करकरी, थाना : सिसई,
जिला : गुमला (झारखण्ड), पिन कोड : 835324

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के तहत दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गाव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी–परम्परा के अनुसार ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो'' का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज द्वारा आयोजित यह परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसु सेन्दरा का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का संयोजन परम्परागत गांव सभा के पंच्चों में से पड़हा बिसुसेन्दरा बेल – श्री दशरथ भगत, कुहाबेल – श्री जुब्बी उरांव, देवान – श्री मटकु उरांव, कोटवार – श्री गजेन्द्र उरांव, भंड़ारी – श्री उमेश उरांव के द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं पारम्परिक ग्रामीण पुजारी पहान, महतो, पुजार इत्यादि उपस्थित थे। इस ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्चा'' में उराँव समाज की रूढ़ीगत व्यवस्था के अन्तर्गत पारित नियमावली को विधि के जानकारों से विमर्श कर, सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज में यह निर्णय जनसूचना एवं अनुपालन हेतु जारी किया जाए, जो निम्नलिखित है –

1. परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज अपने घर–परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक उराँव (कुँड़ुख़) नेगदस्तुर करें तथा परब परम्परागत तरीके से मनाएँ। उरांव (कुँड़ुख़) समाज के सभी सदस्य, अपने पड़हा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामसभा, पड़हा एवं धुमकुड़िया को परम्परागत तरीके से संगठित करें तथा रूढ़ी परम्परा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त पूजा स्थल जैसे – चाःला, अखड़ा, देबीगुड़ी (मड़ई), दरहा, देशबली, चँड़ी, सियाँ–भुइयाँ को सुरक्षित एवं संरक्षित करें।

2. परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज में सामाजिक शादी के अन्तर्गत सिर्फ स्वजातीय शादी की मान्यता है किन्तु स्वजाति में एक गोत्र में शादी वर्जित करता है। स्वजाति में एक गोतर/गोत्र के लोगों में खून का रिस्ता माना गया है। इसलिए सामाजिक परम्परा के विरूद्ध की गयी शादी को परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज निंदा करता है और गैर परम्परागत तरीके से की गई शादी के लिए खाशकर लड़का पक्ष को सामाजिक जुर्माना भरना होगा तथा सामूहिक गांव पूजा एवं पतरी भात का आयोजन करना होगा।

3. उराँव (कुँड़ुख़) समाज पुरूष वंश परम्परा पर आधारित है। इसलिए वर्जना के बाद भी यदि कोई उराँव युवक ढुकू लाता हो या युवति ढुकू जाती हो, तो उसे समाज मान्यता नहीं देता है। इसलिए परम्परानुसार वह सामूहिक गांव पूजा एवं पतरी भात और ढुकू–ढरा बेंज्जा नेगदस्तुर का आयोजन करना होगा।

4. उराँव (कुँड़ुख़) समाज में वर्जना के बाद भी यदि कोई लड़का या लड़की अन्तर्जातीय विवाह करते है तो वे अपने समाज में सामाजिक मान्यता एवं मर्यादा का उलंघन करते हैं, तो वे पति–पत्नी सामुहिक सामाजिक कार्यव्यवस्था तथा जिम्मेदारी से अलग रहें और अपना विवाह रस्म special marriage act के अनुसार करावें।

नोट – रूढ़ी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक मान्यता एवं मर्यादा का उलंघन करने वाले, रूढ़ीप्रथा, सामाजिक सम्पति, नियम कायदा से मुक्त (बाहर) हो जाते हैं। इसी तरह अन्तर्जातीय विवाह करने वालों की सामुहिक सामाजिक कार्यव्यवस्था तथा जिम्मेदारी समाज पर नहीं होगी। भारत सरकार द्वारा आदिवासी अथवा अनुसूचित जनजाति होने के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा विशिष्ट संस्कृति का होना मानदंड माना गया है। इस स्थिति में वशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु रूढ़ीगत उराँव समाज अन्तर्जातीय विवाह के बाद उत्पन्न स्थिति के चलते दूसरे वशं को अपने कबिला में मिलने नहीं देने के नियत से जातीय गण व्यवस्था, सामाजिक सम्पत्ति तथा नियम कायदा से मुक्त किया जाएगा।

5. विश्व में 50 से अधिक देशों में प्राचीन आदिवासी आस्था–विश्वास को कबिलाई धर्म के नाम से मान्यता दी गई है किन्तु अपने ही देश में हमें, धार्मिक पहचान नहीं मिली है, यह हम आदिवासियों के लिये विडम्बना की बात है। परम्परागत उराँव

(कुँड़ुख़) समाज के लोग अपने पारम्परिक विश्वास–धर्म को आदि धरम या सरना धरम के नाम से जानते एवं मानते हैं। केन्द्र सरकार इसे कानूनी मान्यता दे।

नोट – मानव समाज में प्रत्येक बच्चे को एक नाम मिलता है। पर अपने देश भारत में आदिवासी आस्था–विश्वास को अबतक कोई नाम नहीं दिया गया है। क्या, यह केन्द्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है?

6. परम्परागत आदिवासी उराँव समाज में जमीन को परिवार के भरण–पोषण का आधार माना गया है तथा आदिवासी होने एवं कहलाने के लिए जमीन तथा भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area) का होना आवश्यक है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जमीन तथा भौगोलिक क्षेत्र को बरकरार रखने के उदेश्य से वंशानुगत सम्पति (जमीन) को एक वंश से अन्य वंश में हस्तान्तरण नहीं किया जाता है। परम्परा के अनुसार समाज में हरेक लड़की को शादी से पहले अपने पिता के वंशानुगत सम्पति पर तथा शादी के बाद अपने पति के वंशानुगत सम्पति में स्वाभाविक रूप से उपभोग के लिए भागीदार माना गया है। पुस्तैनी जमीन को बेचना, महिला एवं पुरूष दोनों के लिए वर्जित है। सामाजिक दस्तुर है कि एक महिला, शादी के बाद अपने ससुराल में अपनी मर्जी से जीवन भर रह सकती है। इसलिए उराँव बिसुसेन्दरा, लड़की या महिला के लिए यह सामाजिक जिम्मेदारी हक–दस्तुर के साथ, वंशानुगत पारिवारिक अचल संपत्ति का हस्तान्तरण रोकने तथा खेत, खेती और खेतिहर के अन्योन्याश्रय संबंध को बरकरार रखने हेतु महिला एवं पुरूष दोनों को पुस्तैनी जमीन को बेचना वर्जित करता है।

7. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज में शादी के समय बेंज्जा किचरी के रूप में लड़की के लिए तीन टिप्पा हल्दी लगा हुआ पड़िया साड़ी तथा लड़का के लिए तीन टिप्पा हल्दी लगा हुआ धोती अनिवार्य होगा।

8. परम्परागत कुँड़ुख़ समुदाय के शादी नेग में कुल लेन–देन रू० 1101/(ग्यारह सौ रू०) के अन्दर होगा तथा परम्परागत शादी के अवसर पर सिर्फ नेग हँड़िया का व्यवहार होगा। डली ढिबा रस्म आदायगी अलग होगा। इसके लिए पंच्चानेग ढिबा अरा पंचसबुति ढिबा या पंचर गही डँड़ियाचका ढिबा या डली ढिबा रू०11/(ग्यारह रू०) देय होगा।

9. परम्परागत उराँव समुदाय के शादी–व्याह के अवसर पर परपरागत बाजा का रिवाज है। डिस्को बाजा या बैंड बाजा को पड़हा बिसुसेन्दरा वर्जित करता है और समाज में युवक युवतियों को नाच–गान सीखने–सिखाने के लिए अखड़ा–धुमकुड़िया को जगाया जाए। जानबूझकर उलंघन करने पर 5000/(पाँच हजार) रूपया जुर्माना देना होगा।

10. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के सभी भाई–बहन अपने उपनाम में जातीय नाम उराँव जोड़ें। गोत्र (इसका प्रयोग मंत्र एवं अनुष्ठान में विशिष्ट है) एवं गोत्र चिन्ह की पवित्रता बनाये रखें तथा समाज–परिवार के धार्मिक अनुष्ठान, श्रद्धा पूर्वक करें।

11. परम्परागत कुँड़ुख़ (उराँव) समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में पुरूष के लिए दूसरी बार किसी कुँवारी लड़की या रँढ़िया (विधवा) औरत के साथ सगई–संगहा किया जाता है, जैसे –

(1) पहली पत्नी की मृत्यु होने पर।

(2) पहली पत्नी के पागल होने पर।

(3) पहली पत्नी के अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले जाने पर।

(4) पहली पत्नी का दूसरे पुरूष के साथ अवैध संबंध साबित होने पर।

(5) पहली पत्नी से वंश न चल पाने पर (अर्थात बांझपन की स्थिति में), पति–पत्नी के रजामंदी से या पहली पत्नी के कहने पर, परिवार की खुशी के लिए समाज में, सगई–संगहा की प्रथा है।

रूढ़ीगत उराँव आदिवासी समाज में खेत, खेती और खेतीहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परम्परागत उराँव समाज का एक व्यक्ति अपने तथा परिवार के लिए जंगल साफ कर नया खेत बनाता है या फिर अपने खेत में नया पेड़ लगाता है, यह सोचकर कि उनके बाल–बच्चे अथवा आने वाली पीढ़ी के लिए समय पर काम आवे। ऐसी स्थिति में कई बार पहली पत्नी का किसी

विमारी या कोई अन्य कारण से बच्चा नहीं हो पाने से पहली पत्नी अपने घर–परिवार की खुशी के लिए अपने पति से कहती है – एःन निंग्गा गे अउर ओण्टा कनियाँ बेद्दा चिआ लगेन, मुन्दा एंग्गन अमके अम्मबा, नाम ओण्टे एड़ेप'ता (परिवार) नु संग्गे–संग्गे रओत। पहली शादी से उत्पन्न पुत्र या पुत्री के परवरिश (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होती है। कभी–कभी किसी लड़के द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी औरत लाने पर तथा उस औरत के बच्चे को अपनाने की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होगी।

बांझपन का मापदण्ड या परिभाषा, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मान्य होगा। परम्परागत शादी में लड़का–लड़की को पगसी (जुआठ) में बैठाया जाता है और पट्टा में चढ़ाकर सिंदरी टिप्पा करवाया जाता है, सगई–संगहा बेंज्जा नेग में पट्टा में चढ़ाना और पगसी में बैठाने का नेग नहीं होता है, सिर्फ पिटरी सिंदरी तथा सबहा (सभा) सिंदरी होता है। इसलिए सामाजिक मान्यतानुसार की गई शादी से उत्पन्न बच्चे के लिए समाज, उसके पिता की सम्पति का हिस्सेदार बनाती हैं। सामाजिक शादी के बाद खाशकर पासर्पोट के लिए मैरेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। वैसी स्थिति में Jharkhand Marriage Registration Act 2017 के तहत रजिस्टर्ड करवाया जा सकेगा।)

12. परम्परागत कुँड़ुख़ (उराँव) समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में एक महिला की दूसरी बार किसी कुँवारे या रँढ़ुवा (विधुर) व्यक्ति के साथ सगई–संगहा किया जाता है। जैसे –

(क) पहले पति के मृत्यु होने पर।
(ख) पहले पति के पागल होने पर।
(ग) पहले पति के नामर्द रहने पर।
(घ) पति द्वारा पहली पत्नी के रजामंदी में बिना दूसरी औरत लाने पर – शादीशुदा महिला, अपने व्यक्तिगत हित में पहले पति को छोड़कर चली जाया करती है या कहीं–कहीं अपने परिवार की खुशी बनाये रखने में मदद करने में बढ़चढ़ कर हिस्सेदार बनती है। (एक महिला को पूरी आजादी है कि वह पति के घर रहे या पति को छोड़कर जाय।)

13. पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद (बिउड़ही) के लिए परम्परागत तरीके से बिहउड़ी लेन–देन किया जाना आवश्यक है। पुत्र/पुत्री के परवरिश (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होती है। यदि बच्चा 5 साल से कम हो तो वह माँ के साथ रह सकेगा या बिहउड़ी के समय बच्चे के हित में समाज को जैसा अच्छा लगे के अनुसार होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़का द्वारा किया गया हो तो माँ–बच्चे के परवरिश के लिए बच्चे के पिता को खोरपोस (जीवन यापन का संसाधन) व्यवस्था करना होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़की द्वारा किया गया हो तो खोरपोस व्यवस्था के लिए लड़का बाध्य नहीं होगा। ग्राम सभा में बिउड़ही के लिए अरजी, पति–पत्नी के बीच संबंध नहीं होने का समय सीमा कम से कम 2 वर्ष बीतने के बाद ही मान्य होगा।

नोट :– आजकल लोग पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद (बिउड़ही) के लिए आदिवासी परिवार के सदस्य भी कोर्ट से मदद लेने जाते हैं, पर कोर्ट या फॉमिली कोर्ट, आदिवासी मामलों में खाशकर तलाक मुद्दे पर आदिवासियों का सामाजिक मामला कहकर दखल नहीं देती है। इसलिए आदिवासियों के लिए सामाजिक नियमों को पालन करना आवश्यक होगा। परम्परागत उरांव समाज में बिहउड़ी के समय दोसी पक्ष के घर से से पंच द्वारा हार भाईर अड्डो (एक जोड़ा बैल) या मनख़ा (काड़ा) ले जाया जाता था। ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्चा कार्यशाला में इसे वर्तमान समय में लागू रखने का निर्णय किया गया। बिहउड़ी एक प्रक्रिया है, जिसमें डली ढिबा (विवाह सगुन का सांकेतिक धनराशि) को पंच्चो लौटाना आवश्यक होता है। यह डली ढिबा शादी के अवसर पर पंच्च लोगों द्वारा तय किया जाता है तथा कन्या की माँ या परिवार में माँ रिस्ते को ही सौंपा जाता है। डली ढिबा वापसी के बाद ही बिउड़ही मान्य होता है। उराँव समाज में बिहउड़ी के लिए एक जोड़ा बैल या कोड़ा ले जाया जाता है। इस संबंध में एक गीत इस प्रकार है

– बोंग्गर–बोंग्गर पेलो नहियर काःदी,
अयंग दुलड़ पेलो एंव उला रअ़ओ, रे।।

बोंग्गर–बोंग्गर पेलो नहियर काःदी,
मैय्या खू़ःरी पेल्लो एंव उल्ला रअ़ओ, रे।।
मला रओय पेलो, बिहउड़ी ननोर,
डली ढिबा किरितअ़ना मनो रे,
जोड़ा भईर अड्डो, तमा होओर, रे।।

14. परम्परागत उराँव समाज में खेत, खेती और खेतिहर के रिस्ते को अन्योन्याश्रय संबंध माना गया है। यदि खेतिहर को बचाना है तो खेत और खेती को भी बचाना पड़ेगा। इसी सामाजिक एवं सह अस्तित्व विचार–धारा के चलते पुस्तैनी अचल संपत्ति को वशं एवं खेवटदारों के बीच ही उपभोग के लिए निर्धारित है.।

15. बेंज्जा = बिंजिर'उर + बिंज्जुर। बेंज्जा गही माने ''बांजरनखरना गे इंजिरना'' मनी। बेंज्जा का अर्थ हिन्दी में विवाह या शादी है, अंगरेजी में marriage है। संस्कृत में विवाह का अर्थ विशिष्ट वहन कहा गया है। विवाह, पति–पत्नी के एक साथ रहने तथा उनसे उत्पन्न बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी प्रदान करता है। उराँव आदिवासी समाज में बेंज्जा को, प्रकृति में से एक लत्तर जिसे उराँव लोग बंदा कहते हैं या जिसे हिन्दी में अमरबेल कहा जाता है, उसके आचरण की तरह समझा जाता है। उराँव समाज में बेंज्जा, प्रकृति में बंदा गही बांःजना अरा बांजरनखरना (अमरबेल स्वंय से अलग तरह के पेड़ को अच्छादित कर सहजीवी होने जैसा) की तरह है। प्रकृति के इस उद्धरण की तरह विवाह के बाद एक दुलहन, अपने पति के साथ सहजीवी हो जाती है। बांःजना का अर्थ अंगरेजी में to cover, to arrange in a discipline way for safeguard and good objectives है। उराँव समाज में ''बंदा गही बांःजना अरा बांःजरनखरना'' जैसी प्राकृतिक दर्शन की तरह बेंज्जा की मान्यता है।

बेंज्जा = बिंजिर'उर + बिंज्जुर। रूढ़ीगत उराँव़ समाज की रूढ़ीवादी परम्परा, विश्वास–धर्म के अंतर्गत की गई शादी को वैध शादी का दर्जा समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा वैध शादी से उत्पन्न संतान को ही पारिवारिक उत्तराधिकार के लिए समाज जवाबदेह होता है।

रूढ़ीगत उराँव़ समाज में वैध शादी (Valid marriage) का तीन मापदण्ड है –

1. शादी करने वाले लड़का–लड़की की वैयक्तिक सहमति (Personal Consent).
2. पारिवारिक सहमति (Consent of Family)
3. सामाजिक सहमति (Consent of Society).

समाजिक सहमति के साथ घर–परिवार के पितर एवं गांव का देव–देवाँ (देवता–पितर) का पूजा–पाट जुड़ा हुआ रहता है, तभी सामाजिक रूप से शादी को पूर्ण माना जाता है। (उराँव परम्परा में बेंज्जा के नेगचार निम्न हैं जो वैध शादी की प्रक्रिया (Process of valid marriage) –

(क) पुना कुटुम बेद्दा–नखरना – बेंज्जा (विवाह) का नेगचार आरंभ करने से पहले सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लड़का पक्ष के लोग, विवाह योग्य लड़के के परिवार वाले की सहमति से, विवाह योग्य लड़की के परिवार वाले लोगों के साथ बातचीत किया जाता है और यदि सहमति बनती है तो किचरी बांजना होता है।

(ख) किचरी बांःजना अरा ख़ेड्ड अम्म झोकना – विवाह का रस्म लड़का पक्ष से आरंभ किया जाता है। जब वर पक्ष की ओर से कन्या के घर में कन्या को वस्त्र भेंट किया जाता है और कन्या एवं परिवार द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात, कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष के पाँच सदस्यों को लोटा में पानी/झरा में दुबला घांस (वर पक्ष के लोटा में पाँच दुबला घांस) और (कन्या पक्ष के लोटा में तीन दुबला घांस) के साथा दोनों पक्ष मुख्य सदस्य आपस में स्वीकार नामा जल आदान प्रदान करते हैं और धरती माता तथा पूर्वज के नाम से अर्पित करते हैं। उसके बाद कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के साथ मोंजरा/अभिवादन/गोड़लगी

करते हैं। इस नेगचार के समापन के बाद दोनों पक्ष का पारिवारिक सहमति समझा जाता है जो विवाह का अगले कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए तैयारी किये जाने का संकेतक है। यह कन्या की सहमति तथा पारिवारिक सहमति (मन मंजुर) का द्योतक है। Conventional marriage rituals for consent. It shows BRIDE & FAMILY CONSENT.

(ग) बेंज्जा पाःही / कोहाँ पाःही (डली फड़ियारना / बरतई ननना)। कुकोय तरा, लड़की पक्ष तरफ। पारिवारिक एवं सामाजिक सहमति का द्योतक। कुड़ुख (उराँव) बेंज्जा नु कुकोय तरा बेंज्जा पाःही गे कुक्कोस तरतर कुकोयन पाःकनर की झोकनर। Essential's of marriage & consent in Family & Society. It shows FAMILY & SOCIAL CONSENT.

(घ) बेंज्जा पाःही / कोहाँ पाःही (पाःही ननना)। कुक्कोस तरा, लड़का पक्ष तरफ। पारिवारिक एवं सामाजिक सहमति का द्योतक। कुड़ुख़ बेंज्जा नु कुक्कोस तरा बेंज्जा पाःही गे कुक्को सिन कुकोय तरतर पाःकनर की झोकनर। Essential's of marriage & consent Family & Society. It shows FAMILY & SOCIAL CONSENT.

(ङ) मड़वा गड़ना अरा कँड़सा चोअ़ना। ESSENTIAL's OF MARRIAGE.

(च) सगुन ओन्दोरना अरा अउपटन ख़सरना (बाःलका, नगड़ा ख़ज्ज, आबदा तीख़िल, इसुंग, दुब्बा घाँःसी अदिल– बदिल)। Essential's of marriage.

(छ) बरात पईरघाअ़ना (बरात अँड़सना अरा मेरघेराई)। Conventional rituals of marriage. Rituals of confirmation by the society.

(ज) पगसी पिटरी ओकोरना, गुँड़ख़ी तिरख़िर्रना, पट्टा–सिंदरी टूड़तारना, सबहा सिन्दरी (सभा सिन्दरी) मनना। Essential's of marriage & confirmation of marriage.

(झ) सँड़खी उरूखना / ढेलका पुजा। Rituals of confirmation of marriage and pay homage to God, Ancestors & Deity (देवत्व)।

(ञ) पयसरी ननना / बयनला–बयनली बांज़ानखरना / डण्डा कट्टना। Rituals after marriage in bride family to pay homage to God, Ancestors & Deity (देवत्व)। इस अवसर में कई जगहों पर भाहो–भँयसुर एवं जेठसास–दामाद का रिस्ता तय होता है।

उराँव पारम्परिक विवाह में मुख्य 10 (दस) नेग–अनुष्ठान में से Essential's of rituals of marriage में उप क्रमांक (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) एवं (ज) आवश्यक है। कन्या की सहमति (Concent) की आवश्यकता के लिए क्रमांक (ख) (ग) (च) तथा (ज) अनुष्ठान द्योतक है। बेंज्जा का सभी नेग अनुष्ठान गांव के पारम्परिक पहान द्वारा अथवा गांव के जानकार व्यक्ति (शादी–शुदा व्यक्ति या महिलाएँ, जिनके पति–पत्नी दोनों जीवित हों) के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। विधवा / विधुर द्वारा शादी अनुष्ठान नहीं कराया जाता है।

रूढ़ीगत उराँव़ समाज में वैध शादी (Valid marriage) के प्रकार –

(i) मड़वा–कँड़सा बेंज्जा – पारम्परिक विवाह। इसमें मड़वा गड़ाता है, कँड़सा उठता है, ढाँक बजता है, पगसी ओकोरना, पट्टा सिंदरी टूडूरना, गुँड़ख़ी तिरख़िर्रना तथा सबहा सिंदरी मनना होता है। यहाँ जुआठ में लड़की, बिना किसी पूर्वाग्रह के लड़का के बायें तरफ बैठती है, जो सहमति का प्रतीक है। ई बेंज्जा नु एँःड़ो तरा (जोंःख़स अरा पेल्लो) मड़वा गड़रतार'ई। इस प्रकार के विवाव में, दोनों पक्ष के घर, मड़वा–कँड़सा होंता है।

(ii) अतख़ा–पण्डी बेंज्जा – एका–एका बारी बेंज्जा एड़पा नु इन्दिर'इम अलहन मंज्जका ती मलता खुरजी मलका गुसन, कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा अँड़सतअ़ना मनी। अन्ने बेंज्जा नु कुक्कोस तरती बरात मल का:ली। कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा ता मड़वा नुम मड़वा–कँड़सा नेग मनी। कभी–कभी लड़की रक्ष के घर कोंई घटना हुई हो या लड़की के घर वाले बहुत गरीब हों बैसे स्थिति में लड़की को ससमन लड़का के घर पहुँचाया जाता है और लड़का के घर पर ही मड़वा–कँड़सा बेंज्जा नेग होता है।

(iii) सगई–संगहा बेंज्जा – यदि दोनो पक्ष (लड़का एवं लड़की) का पूर्व में विवाह हुआ हो, तो बाद का विवाह, सगई–संगहा बेंज्जा तरीके से होता है। ऐसे विवाह में मड़वा नहीं गड़ाता, कँड़सा नहीं उठता, ढाँक नहीं बजता, पगसी–पट्टा सिंदरी नहीं होता। जों:ख़स, कुकोयन पिटरी नू ओक्कर, सिंदरी टूड़दस, अन्तिले सबहा सिंदरी (सबुती चिअ़ना चिअ़ना सिंदरी) मनी। ई बेंज्जा नु एँ:ड़ो तरा मड़वा–कँड़सा मल गड़रतार'ई।

यदि लड़की का पहले बेंज्जा हुआ रहे तो दूसरी बार उसका सगई–संगहा बेंज्जा होता है। यदि लड़का शादी–शुदा रहा हो, तो कुँवारी लड़की से शादी के लिए लड़का बिना बारात के, बिना ढोल बाजा के लड़की के घर पँहुचता है। लड़का के घर मड़वा नहीं गड़ाता है। परन्तु, लड़की के घर मड़वा–कँड़सा होता है, ढोल बजता है, पर पहले लड़की का पूँप बेंज्जा नेग होता है, फिर संगहा बेंज्जा होता है। इसी तरह, यदि लड़की शादी–शुदा हो और लड़का कुँवारा हो, तो इस तरह की शादी में लड़का बारात लेकर जाता है, ढोल बजता है, परन्तु लड़की के घर मड़वा कँड़सा नहीं गड़ाता है। पर लड़का का पहले पूँप बेंज्जा होता है। उसके बाद लड़का–लड़की का सगई–संगहा बेंज्जा किया जाता है।

(iv) सोहांगी (ढुकू–ढरा) बेंज्जा – ढुकू–ढरा बेंज्जा अर्थात पारिवारिक सहमति या सामाजिक सहमति न मिलने पर भी लड़का–लड़की दोनों पति–पत्नी की तरह रहते रहे हों या उनसे बाल–बच्चा बढ़ रहे हों, तो वैसे रिश्ते को उराँव समाज मान्यता नहीं देता है। परन्तु यदि लड़का या लड़की लम्बे समय तक साथ रहते हुए समाज के साथ सुलहनामा करते हैं तो सामाजिक दण्ड एवं सोड़ा मण्डी के बाद सबहा सिंदरी (सबुती चिअ़ना सिंदरी) किया जाता है। परम्परागत उराँव समाज में स्वजाति विवाह की मान्यता है। अन्य जाति में विवाह हेतु Special Marriage Act के तहत निपटारा हो। ढुकू–ढरा बेंज्जा एवं सुलहनामा, उराँव स्वजाति के अन्दर ही मान्य होगा। एन्ने लेखे बेंज्जा नू सोहांगी का:ना मधे हूँ मनी।

(v) Special Marriage Act बेंज्जा – यह शादी व्यक्तिगत जिम्मेदारी या पारिवारिक जिम्मेदारी पर होती है। इसमें समाज जिम्मेदार नहीं होता है। बेंज्जा ही पईत्त नु न्यायालय व्यवस्था, इबड़ा कत्थन अख़आ बिद्दी :–

1. बिंजिर'उ पेल्लो अरा जों:ख़स गही उमईर (age of girl & boy) एवन्दा रअ़ई ?
2. बिंजिर'उ पेल्लो गही मन–मंजुर (concent) रअ़ई का मला ?
3. Essentials of marriage क्या–क्या है ?
4. Tyes of marriage अर्थात क्या रूढ़ीगत उराँव बेंज्जा contractual है / sacramental है / mixed है ?
5. बिंजिर'उर गही गही बेंज्जा एका बेसे मंज्जा, का – ने ननता:चा ?

कानून में विवाह हेतु उम्र सीमा / Age of marriage as per Court of Law - कानून में विवाह हेतु उम्र सीमा / Age of marriage as per Court of Law -

(i) उराँव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। साथ ही विधवा विवाह प्रथा पूर्वकाल से है।

(ii) 12 बछरे कुकोय जिया–कया सिंगरारा,
13 बछरे पेल्लो एड़पा कोरआ सपड़ारा।

मा:घे चन्ददो नू, धुमकुड़िया पँड़िसया,
कुकोय जिया, पेल्लो मनर अँड़िसया।

12 चन्ददो नू 13 मईख़ना ख़ू:रिया,
बुझुर–बुझुर पेल्लो जिया ढ़ू:रिया।

7 चान, मा:नीम करम उबुस्त'आ,
करम डउड़न अमके किरितआ।

12 चन्ददो, 13 रा:गे पा:ड़ा–बे:चा परिदया,
खोंड़हा नू उज्जना–बिज्जना लूर ख़ू:जिया।

जू:ड़ी–पाँ:ती मना गे, चाँड़ मनो खोंड़हा लाट,
बेंज्जेरआ खोंड़हा नुम, पंग्गे रओ पड़हा पाट।।

भावार्थ :– 12वें बर्ष में बहन का मन और शरीर श्रंगार (मासिक आरंभ होना) किया। 13वें बर्ष में बहन किशोरी गृह प्रवेश के लिए तैयार हुई। माघ महीने में धुमकुड़िया मददगार बना, बेटी या बहन, किशोरी गृह पहूंची। जब 12 महीना में 13 बार मासिक चक्र (मईख़ना) पूर्ण हुआ तो वह अपनी शरीरिक स्वस्थ्य पूर्णता की स्थिति समझकर मुस्कुरायी। मासिक चक्र आरंभ होने के बाद 7 वर्ष तक करम उपवास कराएँ और शादी के रिस्ते के लिए आया हुआ करम डउड़ा को वापस न करें। और जब 12 महीना में 13 गीत–राग बहन सीख ले तो वह समाज के अन्दर जीवन जीने के लिए तत्पर समझें। विवाह बंधन के लिए जरूरत पड़ेगा समाज का साथ। समाज के अन्दर विवाह हो तो बना रहेगा, सामाजिक मर्यादा और विश्वास।

बेंज्जा (विवाह) के संबंध में एक गीत ऐसा गाया जाता है –

गोहला–कुड्डी ननर, मनी–मघा चाँख़रा,
सयो मघन बंदा बांञ्जिया, रे,
सयो मनिन बंदा बांञ्जिया।
जूड़ी जों:ख़स संग्गे मघा तरा का:दर,
मघा बंदा निमन बांञ्जो, रे,
मनी बंदा निमन बांञ्जो।.

16. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज की रूढ़ीवादी परम्परा, विश्वास–धर्म ही हमारी धरोहर है। इसलिए परम्परागत कुँड़ुख़ समाज रूढ़ीवादी परम्परा को बरकरार रखते हुए परम्परा के अनुसार की गई षादी से उत्पन्न संतान को ही वंशानुगत सम्पति (पुस्तैनी जमीन) में हिस्सेदारी देता है। इससे इतर किसी अन्य विधि से की गई शादी से उत्पन्न संतान को पुस्तैनी जमीन में हिस्सेदारी के लिए परम्परागत समाज जवाबदेह नहीं है।

17. डली ढिबा – डली ढिबा का अर्थ डँड़ियाचका ढिबा। बेंज्जेरका ख़ो:ख़ा दव रआ गे चिआ गे डँड़ियाअ़ना। डली झोकना = बेंज्जा मंज्जकन इंजिरना अरा डँड़ियाचकन झोकना। डली किरताअ़ना = बेंज्जा बिहउडी अरा बेंज्जा बिउडही मना गे डँड़ियाचका झोकोचका ढिबन किरताअ़ना। डली ढिबा, वधु मुल्य नहीं है (Dali dhiba is not a bride price)। इसे वधु मूल्य या bride price न समझा जाय। कोहाँ पा:ही के अवसर पर मयसरी और डलीढिबा (समाज के पंच द्वारा बेंज्जा (ववाह) की गवाही तथा बेंज्जा के बाद साथ निर्वहन के सहमति का प्रतिकात्मक धन (खुरजी) है जिसे कन्या की माँ या महिलाएँ अँचरा में झोकती हैं जो रिस्ता सम्हालने जैसा है। डली फड़ियाअ़ना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह सामाजिक प्रथागत प्रचलन है। यह दोनों पक्षों के पंचों द्वारा तय होता है।

परम्परागत उराँव समाज में अपने समाज के पंच द्वारा बेंज्जा सम्पन्न कराया जाता है और विवाह विच्छेद की स्थिति आने पर पंच लोगों को ही बेंज्जा सम्पन्न होने की गवाही तथा बेंज्जा के बाद साथ निर्वहन के सहमति का प्रतिकात्मक धन (खुरजी) डली ढिबा को लौटाना पड़ता है, उसके बाद ही बिउड़ही (विवाह विच्छेद) को सामाजिक मान्यता मिलती है।

18. मयसरी – मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक, भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँड़ुख़ भाषा के अनुसार उचित नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि शादी शब्द को अरबी मूल का माना गया है।

कुड़ुख़ बेंज्जा नु कुकोय तरतर बेंज्जा मंज्जका ख़ोःखा तंगदन बिदा ननो बाःरी – पाःकर की कुक्कोस गही खोंदहा तरतर गे जिमा चिअ़नर अरा कुक्कोस गही एड़पा–पल्ली तरतर कुकोय तरतर ही चिच्चका जिमन झोकनर दरा तमहँय एड़पा–पल्ली तरा ओन्दोरनर। अउला तिम कुकोय तंगहय बेंजेरका एड़पा अरा आ पद्दा ता मनी काःली। ईन्नलता बेड़ा नू हूँ सिसई–गुमला पहईट नू पुना ख़ेड़ो गही नाःमे ती पयसरी नेःग मनी। ई नेःग नू पुना ख़ेड़ो अरा पद्दा ता देव–देंवा अरा पचबल पुरखर संग्गे चिनहाँ परचा ननतार'ई। इदी गे पद्दा ता नैगस रंगुवा ख़ेःरन चराबअ़दस की बेगर एड़बम अम्बदस चिअ़दस।

19. कुँड़ुख़ बेंज्जा में किचरी बांःजना नेःत–नेःग अरा ख़ेड्ड अम्म झोकना नेःत–नेःग से आरंभ होता है। इस तरह जब सामाजिक अनुशासन में रहने के लिए परिवार सहमत होने पर ही समाज के लोग बेंज्जा करवाते हैं और जब सामाजिक अनुशासन को किसी पक्ष के द्वारा तोड़ा जाता हैं तो शिकायत प्रमाणित होने पर सामाजिक जुर्माना करवाया जाता है। यही, बिंज्जुर गही हउड़ी अर्थात बिहउड़ी है। बअ़नर बन्दा बांःजी, अन्नेम कुक्को–कुकोयर संग्गे नु बांःजरनर। बांःजरआ गे बेंज्जा। कुँड़ुख़ बेंज्जा में पाँःती ओक्कना नेःग, वर–वधु द्वारा जुआठ में साथ बैठकर सहमति जताया जाता है।

बांःजना का अर्थ अंगरेजी में to cover, to arrange in a discipline way for safeguard and good objectives की तरह है। बेंज्जा, सामाजिक अनुशासन है और इसे तोड़ने वाले पर शिकायत प्रमाणित होने से सामाजिक जुर्माना या बिहउड़ी जइरबना भरवाया जाए।

20. बेंज्जा बिउड़ही (बिंज्जुर गही उड़हीयाताचका/विवाह विच्छेद/छुटा–छुटी/ तलाक) :– बेंज्जा सामाजिक विधान है, अतएव यदि कोई विवाह विच्छेद करना चाहता है तो शिकायत करने पर समाज द्वारा बिहउड़ी जईरबना (सामाजिक जुर्माना) किया जाता है और कन्या तरफ से डली ढिबा को लौटाना पड़ता है, जिसे डली किरताअ़ना कहा जाता है। समाज में ऐसी ही प्रथा प्रचलन में है। समाज में डली ढिबा वापसी के बाद ही विवाह को मुक्त माना जाता है। बेंज्जा बिउड़ही पड़हा पचोरर मझी मनी।

नोट – वैसे कई आदिवासी समाज में महिला को तलाक लेने का अधिकार खाशकर सिक्किम के आदिवासी समाज में नहीं है। (समाचार पत्र–पत्रिका में छपे लेख के आधार पर)।

बिहउड़ी :– बिंज्जुर गही हउड़ी = बिहउड़ी। उराँव रूढ़ी–परम्परा नू बिहउड़ी गही मईनता बैसकी अरा जईरबना बिहउड़ी। उराँव रूढ़ी–परम्परा में बेंज्जा बिहउड़ी (छुटा–छुटी/विवाह विच्छेद/तलाक) की प्रथागत बातें एवं उराँव रूढ़ी–परम्परा में शादी के आवश्यक विधान :–

(i) बेंजेरका पद्दा सबहा मजही पंचोरा (पंचर गही ओहरा) पिटरी उक्की अरा फरीफटी मनी। पिटरी ओकताअ़ना गे अड्डा सिरे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। ईन्नलता बेड़ा नू ईद ग्रामसभा बातार'ईं। बैठक - I (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस काःलो अरा पंचोरा गही कत्था दरा नेवई टूड़तारओ।)

(ii) बेंजेरका पद्दा नू पंचोरा मझी कत्था मल फड़ियारका ती ओन्द पड़हा मझी मलता पड़हा पद्दा मझी पिटरी ओकोरना/पिटरी ओकताअ़ना गे अड्डा सिरे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। बैठक - II (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस काःलो अरा पंचोरा गही कत्था दरा नेवई टूड़तारओ।)

(iii) पड़हा पद्दा पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती मदईत पड़हा (एक से अधिक पड़हा) मझी पिटरी ओक्कना मनी। पिटरी ओकताअ़ना गे अड्डा सिरे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। बैठक - III (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस काःलो अरा पंचोरा गही कत्था दरा नेवई टूड़तारओ)।

पड़हा पचोरा पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती अबड़ा नालिस– फउदारिन ईन्नलता कोर्ट (न्यायालय) नू /मला होले राःजी बिसुसेंदरा नू नालिस नना काःला ओंग्गनर। असन आ अड़्डा ता लेखे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। उराँव पारम्परिक बिहउड़ी जईरबना या विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय तक जाने के लिए कम से कम तीन बैठक (क्रमांक (i), (ii) एवं (iii) करवाना आवश्यक होगा।

उच्च न्यायालय रांची द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा में कहा गया है कि आदिवासी मामले में उनके परम्परागत सामाजिक तरीके के फैसले के आधार पर न्याय किया जाय। बिहउड़ी = बिंज्जुर गही हउड़ी। हउड़ाअ़ना = ढूँढ़ना, कारण तक पहूँचना। इस तरह बिहउड़ी = विवाह टूटने के कारण तक पहूँचना और सामाजिक जुर्माना तय करना एवं डली किरताअ़ना करना पडता है।

नोट – बिहउड़ी मंज्जका अरा डली किरताचका (विवाह संबंध को त्यागने की प्रक्रिया किया जाना) = बेंज्जा हउड़ी (छुटा–छुटी/विवाह विच्छेद/तलाक)। बेंज्जा एक सामाजिक संस्कार है तथा कुँड़ुख़ जीवन–जोड़ी में कँड़सा–मड़वा बेंज्जा एक बार होता है। यदि वर–वधु दोनों कुँवारे हो तो मड़वा–कँड़सा बेंज्जा होता है और यदि वर–वधु दोनों की पहले शादी हुई हो तो संगहा–सगई बेंज्जा होता है। परन्तु यदि लड़की की शादी पहले हो चुकी हो तथा लड़का कुँवारा हो तो, लड़का का पहले फूल शादी करने के बाद सगई–संगहा बेंज्जा नेग होता है। सी तरह लड़का की शादी पहले हो चुकी हो तथा लड़की कुँवारी हो तो, लड़की का पहले फूल शादी करने के बाद सगई–संगहा बेंज्जा नेग होता है। परम्परागत उराँव समाज में विवाह को न मानने पर सामाजिक अपराध की तरह समझा गया है, जिसके लिए बिहउड़ी (सामाजिक जुर्माना) देना पड़ता है तथा लड़की वालों को बिहउड़ी के साथ, डली किरताअ़ना नेग भी करना होता है, उसके बाद ही बेंज्जा बिउड़ही मान्य होता है।

बिउड़ही (बिंज्जुर गही उड़हीयाताचका) या छुटा–छुटी या तलाक के कारण :–

(क) पत्नी का किसी दूसरे पुरूष के साथ या पति का दूसरी औरत के साथ, अवैध संबंध साबित हो।
(ख) यदि पति नामर्द या पत्नी बांझ हो या बांझ साबित हो।
(ग) मेःत/मुक्का संग्गे–संग्गे मल रअ़ना (दो साल तक अलग रह रहे हों तो)।
(ध) जहड़ी मेःत/मुक्का (क्रूर पति या पत्नी)।
(ङ) ठगुवा बेंज्जा (रोग छिपाकर शादी तथा धोखाधड़ी कर शादी करना)।
(च) पति या पत्नी का पागलपन।
(छ) प्रथागत धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में जाना।
(ज) पति या पत्नी की मृत्यु अथवा 7 साल तक जीवित होने का प्रमाण न मिलने पर।

कुड़ुख़ में, बिउड़ही (बिंज्जुर ही उड़हीयाचका/छुटा–छुटी/विवाह विच्छेद/तलाक) एक कठिन प्रक्रिया है। उराँव समाज में मान्यता है कि परम्परागत सामाजिक बेंज्जा एक सामाजिक विधान है, इसलिए जो विवाह को नहीं मानता है वह सामाजिक विधान को भंग करता है और सामाजिक विधान को भंग करने वाले से सामाज द्वारा बिहउड़ी तय किया जाता है। जिसके तहत उन दोनों परिवार (वर–वधु के परिवार) को सामाजिक जुर्माना (बिहउड़ी जईरबना) तथा डली ढिबा किरताअ़ना करना पड़ता है। डली ढिबा किरताअ़ना ख़द्दी जतरा डण्डी इस प्रकार है :–

1. कल मइयाँ कल – कल कोय,
   जौनख़द्दिस होअ़आ बरचस।
2. एःन मला काःलोन ददा,
   जोड़ी जोंःख़स जिया चिअ़दस।

एःन मला काःलोन ददा,
संगी जोंःख़स जिया चिअ़दस।

3. एःन मला काःलोन ददा,
जोड़ी जोंःख़स जिया चिअ़दस।
एःन मला काःलोन ददा,
डली ढिबन किरतर चिअ़आ।

भावार्थ :– इस गीत में परम्परागत उरांव समाज में प्रचलित वैयक्तिक प्रेम के चलते अपने वैवाहिक संबंध तोड़ने के लिए एक बहन अपने भाई से निवेदन करती है। भाई कहता है – जाओ बहन जाओ, दामाद बाबू ले जाने के लिए आये हैं। इसपर बहन कहती है – नहीं भैया नहीं, मैं ससुराल नहीं जाउंगी, मेरा हमउम्र साथी, मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। इसलिए हे भैया – आप मेरा डली ढिबा वापस कर दीजिए। मैं ससुराल नहीं जाउंगी। परम्परागत उरांव आदिवासी समाज में विवाह विच्छेद के लिए डली ढिबा (विवाह रस्म के शगून का प्रतीक धनराशि जिसे वर्तमान में सवा रूपया, ढाई रुपया से बढ़ाकर ग्यारह रुपया के करीब किया गया है) को लौटाना पड़ता है। डली ढिबा लौटाने से पहले शिकायत मिलने पर पंच बैठता है और बिहउड़ी जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद ही विवाह विच्छेद को सामाजिक मान्यता मिलती है। वैसे कई दूसरे आदिवासी समाज में महिला को तलाक लेने का अधिकार (सिक्किम के आदिवासी समाज में) नहीं दिया जाता है।

21. ख़ोःरपोस :– मेःतस तरती बेंज्जा अम्बरका ती मुक्का अरा ख़द्दर गे उज्जा–बिज्जा खतरी मेःतस ख़ोःरपोस (ख़ोःरा पोसोरआ गे खुरजी) चिओस। पहें बेंज्जा अम्बरना नू मुक्का गही दोसी मंज्जका ती बिहउड़ी ननो बाःरी मेःतस ख़ोःरपोस चिआ गे कसूरदार मल मनोस। मुक्का, ख़ोःरपोस होअर तंगआ ससरईर नू तंगआ ती जुदम रआ उंग्गी, एंदेर गे का अदिन पंच्चर बेंज्जा ननतअर तमहंय पद्दा नू ओन्दोरनर अवंगे अदिन पंच्चर पद्दा ती बड़ियम मल गुछाबअ़नर। अबड़र गही ख़द्दन तम्बस एःरोस अरा तंगदस गे हिंसा–बटा चिओस।

कुडुख़ में, विवाह विच्छेद (तलाक) की प्रक्रिया, विशिष्ट है। उराँव समाज में मान्यता है कि परम्परागत सामाजिक बेंज्जा एक सामाजिक विधान है, इसलिए जो विवाह विच्छेद करता है वह सामाजिक विधान को भंग करता है और सामाजिक विधान को भंग करने वाले से सामाज द्वारा बिहउड़ी (सामाजिक जुर्माना) तय जाता है, जो दोनों पक्ष अर्थात लड़का पक्ष या लड़की पक्ष, दोनों पर लागू होता है और बिउड़ही के लिए डली किरताअ़ना क्रिया सिर्फ लड़की पक्ष के लिए लागू होता है। विवाह विच्छेद अर्थात बेंज्जा बिउड़ही के लिए डली किरताअ़ना आवश्यक है।

22. कोंयछंदा ख़द्द – गोद लिया हुआ बच्चा। कोंयछा (माँ के आंचल की थैला) + छंदा (छांदा हुआ)। कोंयछंदा ख़द्द (गोद लिया हुआ बच्चा) अपनाने का कारण :–

1.पति/पत्नी का जब कोई अपना बच्चा न हो।
2. पारिवारिक संपत्ति का देखरेख करनेवाला न रहने पर बच्चा गोद लिया जाता रहा है। किसे गोद लिया जाता है –
1.परिवार या खानदान के बच्चे को।
2. किसी अपने कुटुम्ब अथवा गोत्र–वंश के बच्चे को।
3. गैर जाति आथवा दूसरे जाति–वंश के बच्चे को गोद लेने के लिए रूढ़ीगत उराँव समाज में वर्जित है।

23. कुँड़ुख़ भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि है। इसे (तोलोंग सिकि लिपि को) झारखण्ड सरकार में 2003 से तथा पश्चिम बंगाल सरकार में 2018 से कुँड़ुख़ भाषा की लिपि की मान्यता मिली है। इसलिए, अपनी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु बिसुसेन्दरा यह निर्णय करती है कि – स्कूलो में हिन्दी एवं अंगरेजी भाषा विषय के साथ कुँड़ुख़ भाषा (तोलोंग सिकि के साथ) विषय की भी पढ़ाई–लिखाई करनी है। इसके लिए हम केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से मदद लेंगे। ज्ञात है कि केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया है, जिसमें हिन्दी, अंगरेजी एवं मातृभाषा शिक्षा नियम लागू है।

24. कुँड़ुख़ भाषा (तोलोंग सिकि के साथ) को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाय। इसके लिए एक कमिटी गठित कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया जाय।

25. झारखण्ड ग्राम सभा नियमावली 2003 अधिनियम की कंडिका 5 में प्रावधानित है कि– कंडिका 5(ग) – ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाएगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप–मुखिया बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उपमुखिया या उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य नहीं हों और उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पहान, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।

उपरोक्त के संबंध में बिसुसेन्दरा मे निर्णय लिया गया कि – हमारे अधिसूचित क्षेत्र में इस बात का कड़ाई से पालन किया जाय कि ग्राम सभा की अध्यक्षता हमेशा ही पहान के द्वारा या महान की अनुपस्थिति में महतो के द्वारा किया जाएगा।

(नोट – अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस गांव के पहान, महतो करेंगे – यह अच्छा फैसला है। इसके लिए सरकार, परम्परागत पहान, महतो से परम्परागत कार्य, संस्कार–संस्कृति के बचाव एवं विकास में वित्तीय मदद करे। पर, परम्परागत पहान, महतो से विकास के कार्यों में या ठेकेदारी कार्य से जोड़ने का कार्य न करे। इस विषय पर ग्राम सभा नियमावली 2003 में सरकार संशोधन करे।)

26. परम्परागत सामाजिक व्यवस्था पड़हा, धुमकुड़िया एवं अखड़ा को पुनर्जीवित कर इसे वर्तमान प्रशासनिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। गाँव–समाज में झगड़ा–झंझट या गिला–सिकवा का निपटारा स्थानीय तरीके से एवं कानून संम्मत हो। दोसी व्यक्ति को पंच द्वारा निर्धारित विधि सम्मत जुर्माना भी देय होगा। इस सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए प्रतिवर्ष पचोरा पड़हा बैठक हो। इसी तरह प्रत्येक तीन वर्ष में बिसुसेन्दरा बैठक तथा राजी बिसुसेन्दरा 12 वर्ष में एक बार अयोजित हो। बिसु सेन्दरा सामाजिक संसद सह आखरी सामाजिक न्यायालय की तरह कार्य करेगा। बिसुसेन्दरा का अर्थ बिहनिन (बि) सुघड़ (सु) ननना गे सेन्दरा अर्थात वंश शक्ति को सुरक्षित तथा संवर्द्धित करते रहने हेतु सेन्दरा है। बिसुसेन्दरा का कार्य समाज की आत्मरक्षा या अन्यान्य सामाजिक रक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करना है, जो आई.पी.सी. 96–100 तक में वर्णित है।

नोट – धुमकुड़िया प्रवेश का समय या जोंख़ एड़पा प्रवेश का समय, माघ महीना अथवा माघ पुर्णिमा तक में होता था। वहीं पेल्लो एड़पा में प्रवेश का समय हेतु उराँव युवतियाँ ''सिनगी दइई पेल्लो महवा उल्ला'' अर्थात बैशाख पुर्णिमा के दिन किशोरी गौरव दिवस के रूप में संस्कारित होना चाहती हैं। तथ्य है कि बैशाख पुर्णिमा के ही दिन जब उराँव पुरूष वर्ग, राःजी बिसुसेन्दरा गये हुए थे तब बैरी लोग आक्रमण किये, जिसमें हमारी उराँव महिलाएँ एवं युवतियाँ दो बार जीतीं पर तीसरी बार वे असफल हो गईं, जब सुर्योदय होने लगा।

27. पड़हा के अन्तर्गत 10 से 15 गाँव के लोग आपसी सामाजिक सहमति से एक मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय चलाएँ। इसके लिए प्रत्येक परिवार से पड़हा के नाम पर 01 (एक) सूप धान तथा धुमकुड़िया के नाम पर साप्ताहिक मुठा चावल जमा करेंगे और आमद–खर्चा का हिसाब रखते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति एवं धुमकुड़िया प्रबंधन समिति द्वारा संचालित किया करें।

28. कुँड़ुख़ समाज अपने पारम्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई पति–पत्नी अपने वंश–परिवार में आपसी सहमती के बाद अपने वंश–परिवार के बच्चे को गोद लेकर माय–बाप (माता–पिता) बन सकता है और स्वंय द्वारा अर्जित धन को उस बच्चे को दे

सकता है। इसके लिए गोद लेने वाले की भी सहमति लेनी होगी और गोदनामा की प्रक्रिया को ग्राम सभा से मान्यता लेना होगा। साथ ही जिसे गोद लिया जाना हो, उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक न हो और गोद लिये जाने के रस्म के साथ पंच लोगों के लिए सोड़ा मण्डी आयोजन करना होगा।

29. जब परम्परागत कुँड़ुख़ (उराँव) समुदाय के परिवार में कोई बेटा न हो, उस स्थिति में माता–पिता, द्वारा अपने बेटी के पति को घरजमाई रखने का रिवाज है, परन्तु इसके लिए बेटी को विवाह के समय ही यह बात ग्राम सभा में सामने रखना होगा कि वे दामाद को घर–दमाद रखना चाहते हैं और इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। दामाद बाबू तभी तक घर–दमाद रहेंगे जबतक दामाद के सास–ससुर जीवित रहे। सास–ससुर की मृत्यु के पश्चात बेटी–दामाद, अपने पिता के घर (दामाद के पिता का घर) वापस चला जावे या ससुराल में बसने–बसाने की जिम्मेदारी सामाजिक समरस्ता के अनुसार ग्रामसभा का निर्णय मान्य होगा।

30. कैडेस्टल सर्वे (1908 ई0 का खतियान) का 115 वाँ वर्ष पूरा हो गया। तब से अब तक, एक लम्बा समय बीत चुका है। अब समाज एवं समय की मांग के अनुसार पड़हा–पंच एवं ग्रामसभा को एक साथ मिलकर कैडेस्टल सर्वे के आधार पर खतियानी वारिशों का कुर्सीनामा, खेवट से जोड़कर तैयार करें और आवश्यकता पड़ने पर सरकार से भी मदद लें। यह कार्य आनेवाली पीढ़ी के लिए सद्भावना और शांति का रास्ता बनाएगा।

31. बिसुसेन्दरा में पारित नियम का अनुपालन, प्रत्येक गाँव में पारम्परिक तरीके से चले आ रहे पद्दा पंच्चा (ग्राम सभा) के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें पद्दा (गाँव) न्याय पंच सदस्य निम्न होंगे –

(क) पहान (भुँईहरी पहनई)।
(ख) महतो (भुँईहरी महतवई)।
(ग) पुजार (भुँईहरी पुजरई)।
(घ) जेठ रैयत परिवार से एक मनोनित सदस्य।
(ङ) गौंरो परिवार से एक मनोनित सदस्य।
(च) भंड़ारी परिवार से एक।
(छ) जोंख़ कोटवार
(ज) पेल्लो कोटवार
(झ) मुखी जोंख़ (अधेड़ उम का पुरूष कोटवार)
(ञ) मुखी पेल्लो (अधेड़ उम की महिला कोटवार)
(ट) गांव के सभी वयस्क महिला एवं पुरूष, ग्राम सभा का सदस्य होंगे।

अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) के अंतर्गत, ग्रामसभा की अध्यक्षता, झारखण्ड ग्रामसभा नियमावली 2003 के तहत संबंधित गांव के परम्परागत पहान करेंगे और पहान की अनुपस्थिति में संबंधित गांव का परम्परागत महतो करेंगे। ग्राम सभा (पद्दा पंच्चा) द्वारा, पद्दा न्याय पंच अथवा ग्राम न्याय पंच का गठन किया जाए। पहान का चुनाव अध्यात्मिक विधि द्वारा अर्थात पाय रेंगवाना अनुष्ठान विधि द्वारा किया जाय। इस विधि से चयनित प्रतिनिधि को ही अंतिम माना जाए। इसी तरह पाय रेंगवाना अनुष्ठान विधि द्वारा पड़हा बेल का चयन किया जाता है। इसलिए अनुष्ठान विधि से चयनित पड़हा बेल को ही अंतिम माना जाएगा। पड़हा बेल को ही पड़हा बैठक की अध्यक्षता करने तथा पड़हा जतरा में घोड़ा चढ़ने का अधिकार मिलता है। पड़हा–बेलपंच्चा की बैडक में शिकायत कर्ता द्वारा अध्यक्षता हेतु चयनित करने का अधिकार होगा तथा उसे ही शिकायत दर्ज करना होगा। बिसुसेन्दरा बैठक में जितने भी पड़हा वाले हों, वे बैठक वाले गांव सीमा क्षेत्र का पड़हा बेल द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा।

पूर्व में सभा का संचालन श्रद्धेय एस.सी राय की पुस्तक ''उराँव ऑफ छोटानागपुर'' में वर्णित बातें – ''पहान गाँव बनाएला आउर महतो गाँव चलाएला'' ('नैगस पद्दा कमदस अरा महतोस पद्दन चलाबअ़दस') की कहावत के अनुसार हुआ करता था।

पर अब भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, धारा 4(घ) तथा झारखण्ड ग्राम सभा नियमावली 2003 के अनुरूप, गांव का प्रथागत पहान को सामाजिक ग्राम सभा का अध्यक्ष मनोनित किया जाए। ग्राम सभा या पड़हा में किसी विवाद के विषय पर ग्राम सभा अध्यक्ष को पड़हा बेल को लिखित शिकायत दिया जाए, जिसकी सुनवाई दोनो पक्षों की उपस्थिति में पंच फैसला करे।

32. पद्दा पंच्चा (ग्राम सभा) में किसी मामले का निपटारा नहीं हो पाने पर, पड़हा–पंच्चा स्तर पर विवाद को सुलझाया जाए और पड़हा–पंच्चा पर विवाद न सुलझे तो मामले को बेलपंच्चा स्तर पर विचार किया जाए। बेलपंच्चा की संरचना में कम से कम 03 पड़हा बेल अथवा 05 या 07 पड़हा बेल शामिल हों, जिसमें बैठक के अधिकतम पड़हा बेल के निर्णय को ''बेलपंच्चा'' अपना निर्णय मानती है। बैठक में पारम्परिक रूप से संचालित पंच जैसे – 1. पडहा बेल 2. पड़हा देवान 3. पड़हा कोटवार तथा चार अन्य मनोनित सदस्य (कुल सात) तथा पड़हा गांव से कम से कम पांच सदस्यों की उपस्थिति में पड़हा पंच्चा के द्वारा निर्णय किया जाए। यदि किसी मामले का निर्णय तीन बैठक (क्रमवार पद्दा–पंच्चा, पड़हा–पंच्चा तथा बेलपंच्चा) के बाद भी नहीं हो तो उस मामले को न्यायालय व्यवस्था में या बिसुसेंदरा में ले जाने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होगा।

ग्रामसभा के निर्णय को पड़हा में अपील करने की समय सीमा 90 दिन होगा। इसी तरह पड़हा के आदेश को बेलपंच्चा में अपील करने का समय सीमा 90 दिन होगा और बेलपंच्चा के आदेश को बिसुसेन्दरा में अपील करने का समय सीमा 09 महीना होगा। इस समय सीमा के बाद शिकायत पर सुनवाई नहीं होगी। बिसुसेन्दरा को प्रथागत उराँव आदिवासी में, सामाजिक न्याय का अंतिम सीढ़ी माना गया है, इसलिए वहाँ के सामाजिक न्याय को किसी दूसरे स्थान पर चुनौति देना मान्य नहीं है। जैसा कि पारिवारिक न्यायालय का Mediation commitee अथवा Mediation commitee court के फैसले को चुनौति नहीं दिया जाता है। परम्परागत उरांव समाज अपने सामाजिक व्यवस्था में श्रद्धा रखते हुए बिसुसेन्दरा के निर्णय को स्वीकार करता है।

(नोट :– उराँव रूढ़ी–परम्परा में पड़हा गांव के अन्तर्गत पड़हा गांव में से बेल पद्दा या राजा गांव चयनित है। इसी राजा गांव से किसी एक व्यक्ति को पूजा अनुष्ठान के बाद पड़हा बेल चुना जाता है और वह पड़हा जतरा में काठ घोडा चढ़ने के लिए उत्तरदयी होता है। राजा गांव के लोगों को राजा का कार्य अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का संचालन तथा निर्वहन करने की सामाजिक जिम्मेदारी होती है, जिसमें पंचगण मदद करते है। वर्तमान समय में तीन सीढ़ी यानि पद्दा सबहा (गांव की सभा), पड़हा सबहा (कई गावों की सभा) तथा बेलपंच्चा (कई पड़हा के बेल लोगों की सभा) से गुजरने पर एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सामाजिक न्याय मिलेगा या सामाजिक न्याय मिलने का उम्मीद जगेगा। यदि कोई व्यक्ति, इस तीन स्तरीय सामाजिक न्याय से संतुष्ट न हों तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। बिसुसेन्दरा, क्षेत्रीय स्तर पर 03 वर्ष में एक बार होता रहा है तथा राजी बिसुसेन्दरा 12 वर्ष में एक बार होता आया है, ऐसे में यह त्रिस्तरीय परम्परागत सामाजिक न्याय प्रणाली, सरल एवं त्वरित न्याय प्रणाली सिद्ध होगा।

परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो, गुमला–मण्डल
के अन्तर्गत परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2024
स्थान – पड़हा पिण्डा, ग्राम : सैन्दा, थाना सिसई, जिला गुमला (झारखण्ड)
में उपस्थित माननीय पंचगण –

क्र.म.	नाम –	गाँव –	पड़हा –	थाना –		हस्ताक्षर
(क)	09 पड़हा करकरी–अताकोरा					
1.	बिश्वनाथ उरांव	करकरी/राजा	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
2.	चैतु पहान	अताकोरा/देवान	9 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
3.	जुब्बी उरांव	सियांग/बड़काअंदाज	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
4.	बलकु उरांव	पंडरानी/चौकीदार	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
5.	सुरेश पहान	बुड़का/पइनभारा	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
6.	पाथो पहान	सैन्दा/कोटवार	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
7.	बिनोद पहान	बघनी/बइलचलवा	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
8.	सोमा उरांव	मंगलो/करठा	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
9.	मनी उरांव	पबेया/चटाई बिछवा	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
(ख)	07 पड़हा चैगरी–शिवनाथपुर					
1.	फागु पहान	चैगरी/राजा	7 पड़हा	पुसो	–	ह०/अ०
2.	बिरसा पहान	शिवनाथपुर/देवान	7 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
3.	करमा उरांव	लावागईं/कोटवारे	7 पड़हा	पुसो	–	ह०/अ०
4.	महाबीर पहान	सेमरा/करठा	7 पड़हा	पुसो	–	ह०/अ०
5.	बुदू पहान	कुरगी/पइनभरा	7 पड़हा	पुसो	–	ह०/अ०
6.	मुण्डा पहान	खेर्रा/भंड़ारी	7 पड़हा	पुसो	–	ह०/अ०
7.	फागु उरांव	कोड़ेदाग/जुतबोहा	7 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
(ग)	05 पड़हा चैगरी–बटकुरी					
1.	चन्द्रशेखर उरांव महतो	चैगरी/राजा ,	5 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
2.	गोंयदा पहान	बटकुरी/देवान	5 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
3.	बिनोद पहान	मलगो/कोटवार	5 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
4.	लखना पहान	मोरगांव/करठा	5 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
5	बुधू मुण्डा पहान	लोंगा/चिलम लदवा	5 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
6.	श्यामनारायण पहान	मकड़ा/कुवंरबेल	5 पड़हा दूधभइया	भरनो	–	ह०/अ०
(घ)	गणमान्य एवं प्रबुद्ध पंचगण					
1.	मंगरा उरांव	मंगलो	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
2.	पंचाल उरांव	अताकोरा	9 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
3.	राजेन्द्र भगत	तिलसिरी	7 पड़हा	घाघरा	–	ह०/अ०
4.	जितेश उराँव	लिटाटोली	5 पड़हा	गुमला	–	ह०/अ०
5.	श्रीमती फूलकुमारी केरकेट्टा	अताकोरा	7 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
6.	श्रीमती राजेशवरी उरांव	बटकोरी	5 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
7.	श्रीमती पुष्पा उरांव	पंडरानी	9 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
8.	श्रीमती सुनीता उरांव	चैगरी घाघटोली	7 पड़हा	पुसो	–	ह०/अ०
9.	पुनई उरांव	सैन्दा	7 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
10.	बिजय उरांव	जलका	5 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०
11.	नन्दु उरांव	महादेव चैगरी	5 पड़हा	भरनो	–	ह०/अ०
12.	श्रीमती सुकरमुनी उरांव	कोड़ेदाग	7 पड़हा	सिसई	–	ह०/अ०

रिपोर्टर : गजेन्द्र उरांव, सैन्दा टोली (पड़हा कोटवार), 09 पड़हा करकरी–अताकोरा। दिनांक – 19 मई 2024

ᱜᱟᱸᱣᱟᱛ ᱵᱱᱯᱩᱫ

9. माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड–छतीसगढ़ का आदेश एवं परम्परागत उरांव समाज की न्यायिक चुनौतियाँ

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के द्वी–सदस्यीय पीठ द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में दिनांक 08.04.2021 के फैसले के कंडिका 29 में कहा गया है कि - “We, accordingly, set aside the judgement dated 16.03.2018, passed in Original Suit No. 583 of 2017 by the Principal Judge, Family Court, Ranch, and remand the matter to Family Court to frame an appropriate issue in regard to existence of provision of customary divorce in the community of the parties to these proceeding to get marriage dissolved. We permit the parties to amend the pleading, if so desire and also to lead evidence to prove the existence of a provision of customary divorce in their community. The Family Court will consider the matter afresh without being influenced by the observations made by this court hereinabove expeditiously. (तदनुसार, हम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रांची द्वारा 2017 के मूल वाद संख्या 583 में पारित दिनांक 16.3.2018 के निर्णय को रद्द करते हैं और इस मामले को कुटुंब न्यायालय को भेज देते हैं ताकि वह इस मामले में विवाह भंग करने के लिए पक्षकारों के समुदाय में प्रथागत तलाक के अस्तित्व के संबंध में एक उपयुक्त मुद्दा बनाये। हम पक्षकारों को, यदि वे ऐसा चाहते हैं तो, याचिकाओं में संशोधन और अपने समुदाय में प्रथागत तलाक के प्रावधान के अस्तित्व को साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं। कुटुम्ब न्यायालय इस न्यायालय द्वारा एतद्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना शीघ्रता से इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगा।

फैमिली कोर्ट को कस्टमरी लॉ के तहत तलाक देने की है शक्ति : हाइकोर्ट

वरीय संवाददाता, रांची

- उरांव जनजाति के प्रार्थी की तलाक की याचिका का मामला, फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
- **हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को किया खारिज, सुनवाई के लिए मामले को वापस भेज दिया**
- कहा : फैमिली कोर्ट एक्ट एक सेक्यूलर लॉ है, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला कर सकता है

झारखंड हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने उरांव जनजाति के प्रार्थी के तलाक से संबंधित मामले को रांची के फैमिली कोर्ट को सुनवाई के लिए वापस भेज दिया. साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एक सेक्यूलर कानून है.

खंडपीठ ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट-1984 सभी धर्मों के लिए लागू एक धर्मनिरपेक्ष कानून है. फैमिली कोर्ट में कस्टम को प्रूफ करने की जरूरत होगी. कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर निर्णय लेने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास है. मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन व

कुमार वैभव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि उरांव जनजाति के युवक का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था. विवाहेत्तर संबंध के कारण वह पत्नी से तलाक चाहता था.

यह है मामला : उरांव जनजाति के युवक ने रांची फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी. फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मेंटेनेबल नहीं है. यह कोर्ट कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला नहीं सुना सकता है. कस्टमरी लॉ लिपिबद्ध नहीं है. यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

उरांव जनजाति समाज में छुटा-छुटी का है प्रावधान : एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि उरांव जनजाति समाज में बैठक कर निर्णय लेकर पति-पत्नी के अलग होने (छुटा-छुटी) का प्रावधान है. तलाक के लिए इच्छुक युवक ने समाज में बैठक के लिए मामले को आगे किया, लेकिन लड़की (पत्नी) के शामिल नहीं होने के कारण समाज की बैठक नहीं हो पायी. इसके बाद युवक ने अपने कस्टमरी लॉ का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट में धारा-सात के तहत तलाक के लिए मामला दायर कर दिया.

इसी तरह बिलासपुर, छतीसगढ़, के नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2023 को खबर छपी – हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक का क्या नियम है ? तथा माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशिनर को नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी।)''

नवभारत छत्तीसगढ़ • ओडिशा

Bilaspur City - 26 Dec 2023 - 26 Nya 1a
epaper.navabharat.news

रन लगा। इसका विरोध करने पर सिपाही सिपाही को सस्पेंड कर दिया है।

हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक के क्या नियम हैं

याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की छूट

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि,केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आदिवासी समाज में तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की भी छूट दी है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डीबी में इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कोरबा जिले का है, जहां आदिवासी समाज से आने वाले पति-पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए

परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी थी और तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। पत्नी ने इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा याचिकाकर्ता के एडवोकेट से पूछा कि क्या आदिवासी समाज में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उन्होंने एडवोकेट को एक्ट की धारा पढ़ने के लिए कहा और साफ किया कि, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस प्रकरण में तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पति की ओर से तलाक की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की बात कही गई।

डीबी ने स्पष्ट किया कि, अपील पर आपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश याचिका दायर करने की भी छूट दी है।

'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से चिवार–विमर्श कर, त्रिस्तरीय **परम्परागत सामाजिक न्याय पंच** पद्धति – 1) पद्दा (ग्राम) न्याय पंच 2) पड़हा न्याय पंच 3) बेलपंच्चा न्याय पंच, के स्तर पर बिसुसेन्दरा (परम्परागत उराँव समाज का सामाजिक संसद स्वरूप) में सामाजिक मार्ग–दर्शन तैयार किया गया। उराँव (कुँड़ुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक करते हैं। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले **ग्राम सभा** के सामने, शिकायत करना होगा। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करे और शिकायत का निपटारा करे।

इस प्रणाली द्वारा दिये गए फैसले की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – **पड़हा न्याय पंच** द्वारा एवं अपील II – **बेलपंच्चा न्याय पंच** (सामाजिक न्याय व्यवस्था बईसकी में कम से कम तीन या पांच पड़हा बेल शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा न्याय पंच की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा आवेदित पड़हा बेल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रकिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ।''

'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से चिचार–विमर्श कर, त्रिस्तरीय **परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बेःलपंच्चा न्याय पंच** पद्धति – (1) पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा न्याय पंच), यह ग्राम स्तर पर होता है। (2) पड़हा पंच्चा (पड़हा न्याय पंच), यह उरांव समाज में पड़हा स्तर पर होता है। (3) बेल पंच्चा (बेःल समूह न्याय पंच) – अर्थात पड़हा बेल समूह अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 या 9 पड़हा बेल मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार शामिल होते हैं। परम्परागत उराँव समाज में बिसुसेन्दरा पद्धति है जो परम्परागत उराँव समाज का सामाजिक संसद के स्वरूप में है और सामाजिक नियम एवं मार्ग–दर्शन तय करता है तथा अनुपालन नहीं होने पर दण्ड भी तय करता है। इसी तरह उराँव (कुँड़ुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक करते हैं। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले **ग्राम सभा** के सामने, शिकायत किया जाता है। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को सूचना देकर कर बुलाता है तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा के सामने होता है। उराँव समाज में बिसुसेन्दरा सम्मेलन करके निर्णय लिया गया कि अब ग्रामसभा की कार्यवाही अधिकृत रजिस्टर में दर्ज किया करें।

इस प्रणाली द्वारा दिये गए फैसले की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – **पड़हा पंच्च (पड़हा न्याय पंच)** द्वारा एवं अपील II – **बेःल पंच्चा (बेःल समूह न्याय पंच)** (सामाजिक न्याय व्यवस्था बईसकी में कम से कम तीन या पांच पड़हा बेल शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा न्याय पंच की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा चयनित पड़हा बेल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रकिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ। बिसुसेन्दरा द्वारा पारित यह प्रस्ताव, सामाजिक व्यवहार के लिए जनहित में जारी है।''

परम्परागत उरांव समाज की त्रिस्तरीय सामाजिक न्याय पंच प्रणाली ''परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023'' द्वारा लिया गया फैसला प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। उपरोक्त सामाजिक न्याय प्रणाली की पर टिप्पणी न करते हुए कुछ सुझाव इस प्रकार है :–

1. परम्परागत उरांव समाज में इस व्यवस्था को परम्परागत उरांव सामाजिक नेवई (न्याय) पंच कहा जाए।

2. परम्परागत उरांव सामाजिक नेवई (न्याय) पंच त्रिस्तरीय हो, जिसका स्वरूप इस प्रकार हो –

    (क) पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा न्याय पंच) – यह ग्राम स्तर पर होता है।

    (ख) पड़हा पंच्चा (पड़हा न्याय पंच) – यह उरांव समाज में पड़हा स्तर पर होता है।

    (ग) बेःल पंच्चा (बेःल समूह न्याय पंच) – यह की पड़हा बेल अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 या 9 पड़हा बेल मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार शामिल होते हैं।

यहां पद्दा का अर्थ गांव है। परम्परागत रूप से सभी उरांव गांव में एक अखड़ा है, जहां करम पुजा (पुजा का अर्थ पूरआ गे उःजना समझा जाता है) होता है, एक चाःला थान (सरना स्थल), एक देबीगुड़ी थान (देवी स्थल) और गांव का मसना सामूहिक तौर पर हुआ करता है, परन्तु किसी गांव का टोला में सरना या देवीगुड़ी नहीं होता है। गांव में टोला बढ़ने से देव–पितर का बंटावारा नहीं हुआ है, पर वहां पर चढ़ाए गये जल और फूल का बंटवारा हुआ करता है। वर्तमान समय में खशकर शहरी क्षेत्रों में, इन मुद्दों में भी बदलाव हुआ है। शहर में समाज का

समूह छुट गया और समूह छुटने से सामुहिकता और सामूकि व्यवस्था में विखराव हुआ और उरांव समाज के लोग दूसरे संगठित आस्था–विश्वास वाले समूह के संगत में चलते चले गजाने लगे।

पंच्चा का अर्थ उरांव समाज में सामाजिक न्याय प्रणाली है। इसका संबंध पचा और पचोरा से है जो पंचनामा के अर्थ से आंशिक तौर पर समझा जा सकता है। हिन्दी का पंचनामा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना है। परन्तु पद्दा पंच्चा या पड़हा पंच्चा या बेल पंच्चा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना तथा सामाजिक न्याय करना एवं दण्ड विधान निर्धारण करना भी है।

पंच्चा शब्द के साथ कई गाना उरांव भाषा में गाया जाता है –

1. पंच्चा ननो बाःरी गमय–गोसोय मननय,
   पंच्चा ननो बाःरी गमय–गोसोय मननय।
   किस्स अहड़ा मोःख़ो बाःरी लब्ब–लब्ब मननय,
   किस्स अहड़ा मोःख़ो बाःरी लब्ब–लब्ब मननय।

भावार्थ – यह महिलाओं द्वारा पुरूषों पर सामाजिक न्याय के दौरान उठती भावनाओं पर टिप्पणी है।

2. पंच्चा भईयर बअ़दी कोय पेलो,
   पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।
   हेओर दरा लवओर कोय पेलो,
   पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।
   अखड़ा नू संगे निंगहय बेःचोन कोय पेलो,
   पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।

भावार्थ – एक प्रेमी, अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और उसका साथ के लिए के लिए सज्ज है।

3. बेल झण्डा चोःचा गुचा सपड़ारआ।
   कन्ना–बलम धरआ गुचा बिसुसेन्दरा।
   पड़हा पंच्चा चोःचा गुचा सपड़ारआ,
   बेल पंच्चा ओक्का गुचा बिसु टोंका।

भावार्थ – यह वीर रस वाली वयस्क लोगों के लिए है। वयस्कों में इसे सामाजिक जागरण हेतु गाया जाता है।

इस प्रणाली में गांव के किसी शिकायत पर पहले **पद्दा पंच्चा/ग्राम सभा** के सामने लाया जाता है। उसके बाद यदि ग्रामसभा के निर्णय पर स्वीकार न होने पर वह मामला पड़हा के बीच पंहुचता है और वहां **पड़हा पंच्चा** में गलती पाये जाने पर जुर्माना किया लाता है।

न्यायालय व्यवस्था का किसी मामले को समीक्षा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में उरांव समाज ग्राम सभा के मामले की समीक्षा प्रथम स्तर पर पड़हा में करता है और उससे उपरी समीक्षा स्थल बिसुसेन्दरा है। पर त्वरित एवं पारदर्शी न्याय के लिए दूसरी व्यवस्था को परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो में बेल पंच्चा न्याय पंच को स्वीकार किया गया है जिसे **बेल पंच्चा** कहा जाता है। यहा शिकायत आने पर कई पड़हा के पड़हा बेल अपनी टीम कं साथ सुयुक्त रूप से निर्णय लेते है।

इसी संदर्भ में दिनांक 31.05.2022, दिन मंगलवार को डॉ० नारायण उराँव, सैन्दा, सिसई (गुमला), अपने वकील मित्र श्री बिन्देश्वर साहू (वकालत परिसंघ, गुमला) के साथ पारम्परिक उराँव समाज के सामाजिक एवं वैधानिक समस्याओं के संबंध में विमर्श करने हेतु गुमला कचहरी (झारखण्ड) में विधि के जानकारों से मिले। डॉ० नारायण एवं विधि के जानकारों

की बातें हुई। डॉ० नारायण ने सामाजिक मुद्दे पर बाचीत करते हुए कहा कि – ''पारम्परिक एवं रूढ़ीगत व्यवस्था के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की सामाजिक समस्याएँ कोर्ट–कचहरी में सुनी नहीं जाती है। प्रश्नोत्तर में महोदय बोले कि कोर्ट या प्राधिकार, शिकायत की सुनवाई करता है, कोई नया नियम नहीं बनाता है। यदि कोई शिकायत हो तो कोर्ट या प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधि सेवा दिया जाएगा और यदि सामाजिक हित में कोई नया नियम बनाने की बात हो तो समाज के लोगों को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्यपाल के पास जाना चाहिए। कोर्ट या न्यायालय, संविधान सम्मत तथ्यों के आध ार पर शिकायत का निपटारा एवं न्याय करता है।

उक्त तथ्यों की जानकारी के बाद, परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि अपने समाज में हुए शिकायत को बैठकर लिखा–पढ़ी के साथ अभिलेख तैयार करते हुए कार्य किया जाएगा। इसके लिए, परिवाद यदि परिवार स्तर पर न सुलझे तो रूढ़ी–परम्परा के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।
परम्परा के अनुसार वाद या परिवाद को निम्लिखित तरीके से कार्य किया जाना चाहिए –

1. सर्वप्रथम वाद या विवाद पद्दा सबहा / ग्राम सभा में आये तो, **पद्दा पंच्चा / ग्रामसभा** द्वारा दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष के बातों को गवाहों के सामने सुनकर तथा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। गवाह पंचगण होंगे। पद्दा पंच्चा अथवा ग्रामसभा की अध्यक्षता, रूढ़ी–प्रथा के अन्तर्गत कार्यरत संबंधित गांव का पहान द्वारा अथवा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाएगा।

2. यदि **पद्दा पंच्चा / ग्रामसभा** में किसी मामले का निपटारा न हो तो यह मामला पड़हा में जाएगा। उस पड़हा के लोग (जिसमें 3, 5, 7, 9, 12, 22 गांव जो बुनियादि पड़हा में एक साथ रहता आया हो) **पड़हा पंच्चा** का बैठक में निर्णय करें। पड़हा पंच्चा की अध्यक्षता, पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिखित कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज हो।

3. यदि एक बुनियादि पड़हा स्तर पर मामले का निपटारा न हो तो यह मामला अपने पड़ोसी निकटवर्ती सहयोगी पड़हा (3 या 5 या 7 या 9 पड़हा समूह के बेल, अपने सहयागियों के साथ) **बेल पंच्चा** करें और निर्णय लें। बेल पंच्चा में सबहा की अध्यक्षता, आवेदक द्वारा प्रस्तावित पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के सामने लिखित हो। इन तीन बैठक के निर्णय से यदि वादी या प्रतिवादी असंतुस्ट हों तो वे न्यायालय या बिसुसेन्दरा में मामले को ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इस तरह, परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 एवं टाटा स्टील फाउण्डेशन के तकनीकी सहयोग से अद्दी अखड़ा, रांची संस्था द्वारा 2023 में समीक्षा कराकर फरवरी 2024 को प्रकाशित किया है। इसका ऑनलाईन प्रकाशन kurukhtimes.com पर https://kurukh/node/377 के पर उपलब्ध है। पूर्व में भी परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2022 द्वारा लिया गया निर्णय ऑनलाईन प्रकाशन kurukhtimes.com पर https://kurukh/node/285 के पर उपलब्ध है। इसके पी.डी.एफ. रूप को kurukhtimes.com से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

आलेख – डॉ नारायण भगत,
विभागाध्यक्ष, कुँड़ुख़ विभाग,
रांची विश्वविद्यालय, रांची।
दिनांक – 30 अप्रील 2024
मो0 न0 – 8521458677

10. धुमकुड़िया ता जोंख एड़पा, पेल्लो एड़पा अरा ख़द्दपड़ा

धुमकुड़िया, कुँड़ुख़ कत्था (भाषा) नू –

धुमकुड़िया शब्द – धुम–ताअ़ + कुड़िया अथवा धुम्म–धुम्म कुड़िया के योग से धुमकुड़िया बना है। कुँड़ुख़/उराँव समाज में बुजूर्ग या दादा–दादी लोग अपने पोते–पोतियों का अंगुली पकड़कर समाज के साथ चलना सिखलाते हुए बोला करते हैं – गुचा नतिया, धुम–ताअ़ बेःचा/लगे नतिया धुम–ताअ़ बेःचा। यह धुम–ताअ़ का धुम एवं ताअ़ – मान्दर थाप की ध्वनि प्रतीक है। इस धुम ताअ़ का ताअ़ शब्दखण्ड, किसी मूल क्रिया शब्द का मध्य प्रत्यय है, जो प्रेरणार्थक क्रिया सूचक है। जैसे – नन + ना = ननना (करना), नन + ताअ़ + ना़ = ननताअ़ना (करवाना)। इस प्रकार धुमकुड़िया में बच्चों के लिए बड़े बुजूर्ग अर्थात सिखलाने वाले ही परोक्ष रूप में प्रेरणार्थक होते हैं।

दूसरा पक्ष यह है कि जब कभी गांव–घर में बच्चे या नवयुवक अनुशासीत तरीके से अथवा लयवद्ध तरीके से नाचते–गाते हैं तो बुजूर्ग कहा करते हैं – इन्ना गा जोंःख़र–पेल्लर अकय दव बिच्चयर – धुम–धुम ख़रख़ा लगिया। वहीं पर यदि बच्चे या नवयुवक अनुशासनहीन तरीके से, मौसम के अनुसार और बिना राग–ताल के नाचते–गाते हैं तो बुजूर्ग कहा करते हैं – इन्ना गा जोंःख़र–पेल्लर मलदव बिच्चयर – धम्म–धुम ख़रख़ा लगिया।

ध्यातव्य हो कि – बच्चों के लिए प्रचलित धुम ताअ़ कुड़िया, प्रारंभिक अथवा प्राथमिक शिक्षा का परिचायक है, तथा किशोर–किशोरियों के लिए प्रचलित धुम्म–धुम्म कुड़िया, उच्च शिक्षा का परिचायक है। इस तरह धुम–ताअ़ कुड़िया तथा धुम्म–धुम्म कुड़िया में से उभयनिष्ट, धुम/धुम्म+कुड़िया मिलकर धुमकुड़िया शब्द बना है। वैसे सरकारी व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दो अलग–अलग विभाग एवं अलग–अलग मंत्री और सचिव होते हैं। परन्तु आधुनिक समय में धुमकुड़िया में लोगों का ध्यानाकर्षण न होने पर भी यह पूर्व समय में वृहत ज्ञानालय केन्द्र था। इसी तरह इंडियन फैक्ट्री एक्ट के तहत शिशुसदन जिसे अंगरेजी में Crechc कहा जाता है। कुडुख़ में इस प्रकार की व्यवस्था को ख़द्दपड़ा (ᱠᱷᱚᱫᱫᱚᱯᱟᱲᱟ) के नाम से समझा जाता है। इस तरह धुमकुड़िया का अन्दर तीन हिस्से में कार्य करता हैं – **1. ख़द्दपड़ा 2. जोंख़ एड़पा 3. पेल्लो एड़पा।**

उम्र के अनुसार वर्गीकरण –

1. 4था वर्ष से 6ठा वर्ष तक – लेदका तूड़ (Xaddpara / Nursery / Pre School age)
2. 7वाँ वर्ष से 12वाँ वर्ष तक – सन्नी तूड़ (Childhood Dhumkuriya age, School age)
3. 13वाँ वर्ष से 18वाँ वर्ष तक – चेंड़ा तूड़ (Youth Dhumkuriya age, Secondary School age)
4. 19वाँ वर्ष से शादी तक – कोहाँ तूड़ (Young-adult dhumkuriya age, Higher Secondary age)

धुमकुड़िया : एक परिचय –

"धुमकुड़िया, उरांव आदिवासी समुदाय की एक पारम्परिक सामाजिक पाठशाला सह व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र है"।(Dhumkuriya is a Traditional Social School cum personality and Skill Development Centre in an Oraon Tribal Village).

धुमकुड़िया, उराँव आदिवासी समाज की एक पारम्परिक सामाजिक पाठशाला सह व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र है। प्राचीन काल में प्रत्येक गाँव में व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के लिए सामाजिक पाठशाला हुआ करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। समय के साथ यह पारम्परिक सामाजिक सह व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र विलुप्त होने की स्थिति में है। कुछ दशक पूर्व तक यह संस्था किसी–किसी गाँव में दिखलाई पड़ता था किन्तु वर्तमान शिक्षा पद्धति के प्रचार–प्रसार के बाद यह इतिहास के पन्ने में सिमट चुका है। कुछ लेखकों ने इसे युवागृह कहकर यौन–शोषन स्थल के रूप में पेश किया, तो कई मानवशास्त्री इसे असामयिक कहे, किन्तु अधिकतर चिंतकों ने इसे समाज की जरूरत कहते हुए सराहना की है। आदिवासी परम्परा में मान्यता है कि – यह लयवद्ध तरीके से समाज के लोगों के लिए सामाजिक जीवन जीने की कला सीखने तथा व्यक्तित्व एवं कौशल विकास करने का केन्द्र है। (Dhumkuriya is a traditional social rhythmic learning system cum personality and skill development centre for Children and Young among Oraon tribe)

कुँड़ुख़ (उराँव) आदिवासी समाज में धुमकुड़िया एक ऐसी शाश्वत व्यवस्था रही थी जो किसी गाँव या टोला के सभी लड़के–लड़कियों के लिए (लिंग भेद रहित) होता था। ऐसा उदाहरण किसी भी देश या समुदाय में सामान्य रूप से प्रचलन में नहीं दिखता है। वैसे भारतीय इतिहास में पुराने राजा–महाराजाओं के राजपाट में गुरूकुल नामक संस्थान हुआ करता था, जिसमें सिर्फ शासक वर्गों के पुरूष बच्चे ही प्रवेश पाते थे। जन–साधारण के लिए वहाँ प्रवेश नहीं था अथवा वर्जित था। वर्तमान शिक्षा पद्धति की तुलना में धुमकुड़िया शिक्षण केन्द्र में Visual language (लिखित भाषा) का प्रयोग नहीं होता था, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के Visual language (लिखित भाषा) की तुलना में पिछड़ गया और पिछड़ता ही रहा। दूसरा कारण रहा कि किशोर–किशोरी जोंख़ एड़पा अरा पेल्लो एड़पा पर अधिक ध्यान दिये, जिससे ख़द्दपड़ा छुटता गया और छंटता ही गया। **वर्तमान में यदि धुमकुड़िया को नवजागरित करना है तो ख़द्दपड़ा भाग को भी संवर्धित करना होगा।**

पेल्लो एड़पा मंक्खना अरा मुलुर खोपा –

किशोरावस्था यानि 12 वर्ष से लगभग 18 वर्ष तक शारीरिक एवं मानसिक विकास जारी रह सकता है। तुलनात्मक रूप में लड़कियां औसत दस–ग्यारह वर्ष, लड़कों की औसत बारह–चौदह वर्ष यानि लड़कियाँ दो वर्ष पूर्व से ही परिपक्व होना आरंभ कर देती है। ऊंचाई व वजन वृद्धि शरीर अनुसार भिन्न होती है। मासिक धर्म शुरू होने पर शरीर के हार्मोन्स का उत्पादन प्रजनन क्षमता, शारिरिक, व्यवहारिक इत्यादि बदलाव के लिए तैयार करता है। यदि 8 से 18 वर्ष तक पहुंचते भी मासिक धर्म की शुरुआत न हो तो यह असामान्य माना जाता है। कुक्कोय से पेल्लो अर्थात बालिका से किशोरी में परिवर्तित होने का समय अथवा मासिक धर्म शुरू होने के बाद वाली स्थिति के बाद ही ''पेल्लो एड़पा'' में प्रवेश कराया जाता है। धुमकुड़िया में पेल्लो को, पेल्लो एड्पा में प्रवेश और विदाई दोनों अवसर के अनुसार माध या बैसाख शुक्ल पक्ष (बिल्ली पक्ख) में तृतीया से पूर्णिमा तक कराया जाता हैं। इसे पेल्लो एड़पा का विशेष संस्कार को ''धुमकुड़िया पेल्लो एड़पा महबा उल्ला'' के रूप में भी मनाया जाता था। धुमकुड़िया के पेल्लो एड़पा में प्रवेश का समय जब कुक्कोय से पेल्लो हो जाती है अर्थात जब उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है तब लगभग 10 से 12 वर्ष की अवस्था में धुमकुड़िया पेल्लो एड़पा में प्रवेश कराया जाता है।

कहा जाता है – माघ महीने या बैसाक महीने के शुक्ल पक्ष में एक समारोह की तरह लड़कियों को परम्परागत रूप से कीन्दा पिटरी में बैठाकर, कीन्दा पत्ते की अंगूठी तथा कीन्दा पत्ते का चंदवा पहनाया जाता था। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अनेक प्रकार के श्रृंगार जैसे नए वस्त्र, मौसमी फल–फुलों से सजावट, आर्थिक सक्षम होने पर आभूषण इत्यादि दिए जा सकते हैं। कहा जाता है – इस संस्कार के लिए आंगन या धुमकुड़िया में सखुआ पत्तल पर लड़की को बैठाकर मॉ या अन्य स्त्रियां बालों में सरसों तेल लगाकर कंघी करती थीं। तत्पश्चात खुले बालों को लड़की के पिता, सुन्दर सा खोंपा बना देते थे, जिसके मदद के लिए वहां उपस्थित माँ या अन्य दो–तीन स्त्रियां भी रहती थीं। अंत में खोंपा में गुलइची फूल एवं गेंदा फूल तथा मिंजुर टईंयाँ लगाकर सजा दिया जाता था। इसे ''मुलुर–खोंपा'' कहा जाता है। मुलुरना का अर्थ बाल चोटी बनाना है। इस अनुष्ठान के बाद, अन्य पुरुष को उसके खोपा को स्पर्श करने की अनुमति नहीं थी। यदि जबरन किसी लड्के द्वारा इस मर्यादा का उलंघन करने पर लड़की के अभिभावक एवं समाज द्वारा सामाजिक दंड दिया जाता था। इस संस्कार में पिता की अनुपस्थिति पर पिता के भाई द्वारा या लड़की के भाई द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। इस पारंपारिक संस्कार का यह अर्थ है कि लड़की अपने पिता या भाई द्वारा विवाह होने तक संरक्षित मानी जाती थी।

संकलन कर्ता –

सुश्री नीतू साक्षी टोप्पो
(एम.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी)

श्रीमती शुभा उराँव
(बी.टेक, ई.ई.ई), राँची।

ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी (टी०सी०एस०)

ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी, टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिल्टी के अंतर्गत हाशिये पर आ चुके सामुदायों विशेषतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ही कार्यरत इकाई है। यह एक अव्यवसायिक और स्वंयसेवी संगठन है। ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी की यात्रा 1974 में तब शुरु हुई जबकी इसने जनजातीय मामलों के लिए एक संयुक्त समिति के रुप में कार्य करना प्ररंभ किया। वर्ष 1993 में समिति पंजीयन अधिनियम के तहत इसका एक समिति के रुप में पंजीयन कराया गया। टाटा स्टील ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी का मुख्य उद्देश्य जनजाति अस्मिता और धरोहर को प्रोत्साहित करना है। यह जनजातीय जीवन, संस्कृति तथा अजीविका के विभिन्न पक्षो में आर्थिक पहल के जरिए जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन से सम्बद्ध गतिविधियों पर केंद्रित है। कार्य के प्रमुख क्षेत्र हैं :–

- जनजातीय समुदायों की देशज अस्मिता या मौलिक पहचान का संरक्षण और संवर्धन।
- सशक्त समाजों के निर्माण हेतु सिक्षा को विशेषतः युवाओं के मध्य प्रोत्साहित करना।
- कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।